सत्यमेव जयते

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन

संचालन दिशानिर्देशिका

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

सत्यमेव जयते

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन

संचालन दिशानिर्देशिका

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

नरेन्द्र सिंह तोमर
NARENDRA SINGH TOMAR

सत्यमेव जयते

कृषि एवं किसान कल्याण,
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE,
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

संदेश

भारत में कृषि जोत अधिकांशत: छोटे और सीमांत किसानों के पास हैं जिनका औसत आकार 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं है। उत्पादन प्रौद्योगिकी तक पहुंच, उचित कीमतों पर गुणवत्तायुक्त आदान, ऋण, कस्टम हायरिंग, बीज उत्पादन, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, निवेश और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मंडियों तक पहुंच जैसी उत्पादन और उत्पादनोपरांत अवस्थाओं में इन छोटे और सीमांत किसानों के सामने कुछ न कुछ चुनौतियां बनी रहती हैं।

किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के रूप में अपने संगठन बनाने के लिए ऐसे लघु और सीमांत किसानों के एकत्रीकरण को एक ऐसे सर्वाधिक प्रभावी और उचित संस्थागत प्रणाली के तौर पर मान्यता दी गई है, जिससे उत्पादन में कमी, प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की शुद्ध आय बढ़ाने के लिए बेहतर बाजार सम्पर्क को सुगम बनाया जा सकता है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार होने के साथ-साथ ग्रामीण युवकों के लिए गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित करने के महत्व को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने केन्द्रीय बजट में वर्ष 2023-24 तक 10,000 नए एफपीओ बनाने की घोषणा की थी। आशा है, यह नई योजना अपने लक्ष्यों में पूरी तरह सफल रहेगी तथा इससे कृषि अर्थव्यवस्था को और प्रोत्साहन मिलेगा।

7/7/20

(नरेन्द्र सिंह तोमर)

Office : Room No. 120, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 Tel.: 23383370, 23782691 Fax : 23384129
Resi. : 3, Krishna Menon Marg, New Delhi-110001, Ph. : 011-23794697 / 98, Fax : 011-23794696

परशोत्तम रूपाला
PARSHOTTAM RUPALA

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण
भारत सरकार
Minister of State For
Agriculture & Farmers Welfare
Government of India

D.O. No.................MOS(A&FW)/VIP/2019-20/

प्राक्कथन

विगत वर्षों के दौरान भू-जोत के आकार घटे हैं जिससे फार्म यंत्रीकरण को अपनाया जाना और उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग मुश्किल हो गया है। इसके अतिरिक्त, इन लघु भू-जोतवाले किसानों के सामने बाजार की पहुंच और अपनी उपज के लिए लाभदायक मूल्य प्राप्त करने की चुनौतियां और मुश्किलें होती हैं।

छोटे भू-जोत वाले किसानों की उत्पादन और विपणन से जुड़ी इन कठिनाइयों को हल करने के लिए उन्हें अपने समूह बनाने/किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए एकजुट करके से मानक अर्थव्यवस्था को मजूबती प्रदान करने हेतु इस किसानों को समूहबद्ध किया जाना किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अहम उपाय है।

मैं इस समर्पित केंद्रीय क्षेत्र योजना अंतर्गत १०,००० किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) का सृजन और संवर्धन" के प्रकाशन के लिए विभाग की सराहना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश सभी पणधारकों को स्कीम से लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

(परशोत्तम रूपाला)

दिनांक- ७ जुलाई, २०२०.

Delhi Office : Room No. 322, 'A' Wing, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Tel. : +91-11-23383975/76 **Fax** : +91-11-23383971, **E-mail** : mosrupala@gmail.com
Gujarat Office : Plot No. 219, Sector-20, Gandhinagar-382 020 **Tele.** : 079-23260013

कैलाश चौधरी
KAILASH CHOUDHARY

कृषि एवं किसान कल्याण
राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR AGRICULTURE
& FARMERS WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA

प्राक्कथन

हमारे लघु और सीमांत किसानों के सामने उत्पादन और उत्पादन के उपरांत की दानों ही स्थितियों में चुनौतियां होती हैं जो उत्पादन प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार लिंकेजेज आदि के रूप में होती हैं।

विगत वर्षों से यह महसूस किया जाता है कि ऐसे किसानों को समूहवद्ध करके किसान उत्पादक संगठन जैसे अपने संगठन बनाया जाना उत्पादन लागत को कम करने और बेहतर बाजार लिंकेजेज सुगम बनाने के लिए ताकि उनकी सकल आय बढ़े, महत्वपूर्ण है।

मैं आशा करता हूं कि इस केंद्रीय क्षेत्र योजना "10,000 किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) का सृजन और संवर्धन" से लघु और सीमांत किसानों को दीर्घकालिक आधार पर एफपीओ बनाने में मदद करेगा।

(कैलाश चौधरी)

दिनांक– 7th जुलाई 2020

Office : 199Q, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001. Tel. : +91-11-23782343, 23388165 Fax : 23074190

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation
& Farmers Welfare

प्राक्कथन

भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को समूहों में संगठित करने संबंधी प्रक्रिया के महत्व को भली भांति समझ रही है। इससे उत्पादन और विपणन के वित्तमान को सशक्त करने में सहायता मिलेगी। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएडंएफडब्ल्यू), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएडंएफडब्ल्यू) ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की दो उप-स्कीमों नामत: राष्ट्रीय शहरी कलस्टर सब्जी पहल और 60,000 वर्षा सिंचित गांवों के लिए दलहन विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011-12 के दौरान किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया था। विभाग द्वारा 2013 में एफपीओ के लिए राष्ट्रीय नीति और प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश जारी करने के बाद इस पहल ने अपनी वास्तविक उपलब्धि दर्ज कराई।

तथापि, एफपीओ बाजार पहुंच और ऋण लिंकेजेज की कमी, अपर्याप्त वित्तीय सहयोग और प्रबंधकीय कौशल की कमी आदि जैसी चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। इस समस्याओं का समाधान करने के लिए विभाग ने देश भर में कार्यान्वयन के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (इसके बाद एफपीओ) के गठन और संवर्धन' से संबंधित एक समर्पित केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत एफपीओ को या तो कंपनी अधिनियम 1956 (कम्पी अधिनियम, 2013 के खंड 465 (1) के माध्यम से यथा लागू) के भाग IXक के अंतर्गत अथवा राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाने के साथ-साथ कलस्टर आधारित व्यवसाय संगठनों (सीबीबीओ) के अधीन व्यवसायिकों द्वारा पांच वर्षों के लिए संचालित किया जाना है। मंडी और संस्थागत ऋण संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया गया है। इसके अलावा कृषि मूल्य श्रृंखला संगठन/उद्योग द्वारा मौजूदा एफपीओ को सहायता के साथ-साथ एफपीओ के गठन को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

मुझे विश्वास है कि इस स्कीम के तहत एफपीओ की आवश्यकताएं और आकाक्षांए पूरी होंगी और वे अपने लिए एक सहायक पारिस्थितिकीय व्यवस्था स्थापित करेंगे; और इस प्रकार एफपीओ व्यवहार्य होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी संधारणीय होंगे।

दिनांक: 7 जुलाई, 2020

(संजय अग्रवाल)

Office : Krishi Bhawan, New Delhi-110001, दूरभाष / Phone : 23382651, 23388444 फैक्स सं० / Fax No. : 23386004
E-mail : secy-agri@gov.in

विषयवस्तु

क्र.सं.	मद	पृष्ठ
1	योजना के लक्ष्य और उद्देश्य	1
2	किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)	1
3	एफ.पी.ओ. द्वारा की जाने वाली व्यापक सेवाएं और गतिविधियाँ	2
4	एफ.पी.ओ. का गठन और क्लस्टर क्षेत्र की पहचान के लिए रणनीति	2
5	राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए)	6
6	कार्यान्वयन एजेंसी	9
7	क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सी.बी.बी.ओ.)	11
8	बजटीय प्रावधान	18
9	एफ.पी.ओ. गठन और इनक्यूबेशन लागत जिसमें एन पी एम ए लागत सहित सी बी बी ओ की लागत और मॉनिटरिंग एंड डेटा मैनेजमेंट / एम आई एस पोर्टल की लागत शामिल है	20
10	एफ.पी.ओ. प्रबंधन लागत	20
11	इक्विटी ग्रांट के लिए प्रावधान	22
12	ऋण गारंटी सुविधा	28
13	एफ.पी.ओ. के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण	38
14	कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र	41
15	योजना का मूल्यांकन	47
16	समेकित पोर्टल	48
17	विविध	48
18	अनुबंध I से III	52

1.0 योजना के लक्ष्य और उद्देश्य

1.1 जीवंत और स्थायी आय उन्मुख खेती और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और कृषि समुदायों की भलाई हेतु नए 10,000 एफ.पी.ओ. बनाने के लिए सर्वांगीण और व्यापक आधारित सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।

1.2 कुशल, लागत प्रभावी और स्थायी संसाधन उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना और अपनी उपज के लिए बेहतर लिक्विडिटी और बाजार लिंकेज के माध्यम से उच्च लाभ प्राप्त करना और सामूहिक कार्य के माध्यम से स्थायी बनना।

1.3 नए एफ.पी.ओ. के प्रबंधन के सभी पहलुओं में सृजन वर्ष से 5 साल तक एफ.पी.ओ. को इनपुट, उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, बाजार लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज और प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि द्वारा हैंडहोल्डिंग और सहयोग प्रदान करना ।

1.4 सरकार से सहयोग की अवधि के बाद एफ.पी.ओ. को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि-उद्यमिता कौशल विकसित कर प्रभावी क्षमता निर्माण प्रदान करना।

2.0 किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)

एफ.पी.ओ. एक सामान्य नाम है, जिसका तात्पर्य किसान उत्पादकों को संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम अथवा कंपनी अधिनियम के भाग IX A के तहत संगठन में निगमित/ पंजीकृत करना तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन व विपणन करने में आर्थिक स्तर पर बेहतर बनाने के माध्यम से सामूहिक लाभ के प्रयोजन हेतु संगठन बनाने से है। तथापि इस योजना के प्रयोजनार्थ राज्य की सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत एफ.पी.ओ. (किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त अथवा आत्म निर्भर सहकारी समितियों सहित) के स्वास्थ्यवर्धक विकास एवं वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दृष्टि उनके संघ के ज्ञापन तथा उपनियमों में उपयुक्त प्रावधान के माध्यम से इन्हें चुनाव की प्रक्रिया और दैनिक प्रबंधन कार्यों सहित सभी प्रकार के हस्तक्षेप वाले कार्यों से अलग रखा जाएगा।

3.0 एफ.पी.ओ. द्वारा किए जाने वाली व्यापक सेवाएं और गतिविधियां

एफ.पी.ओ. अपने विकास के लिए यथावश्यक निम्नलिखित प्रासंगिक प्रमुख सेवाओं और गतिविधियों को प्रदान और शुरु कर सकता है -

(i) यथोचित रूप से निम्न थोक दरों पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और इस तरह के अन्य निवेश जैसे गुणवत्ता उत्पादन इनपुट की आपूर्ति करना।

(ii) प्रति यूनिट उत्पादन लागत को कम करने के लिए सदस्यों हेतु कस्टम हायरिंग आधार पर कल्टीवेटर, टिलर, स्प्रिंकलर सेट, कंबाइन हार्वेस्टर और इस तरह के अन्य मशीनरी और उपकरणों की तरह जरूरत आधारित उत्पादन और पोस्टप्रोडक्शन मशीनरी और - उपकरणों कोउपलब्ध कराना।

(iii) सफाई, परख, छँटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और साथ ही यथोचित सस्ती दर पर यूजर चार्ज के आधार पर फार्म लेवल प्रोसेसिंग जैसी मूल्य संवर्धन सुविधाएँ उपलब्ध कराना । भंडारण और परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

(iv) बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि जैसी उच्च आय देने वाली गतिविधियाँ।

(v) किसान सदस्यों-की उपज के छोटे लॉट को एकत्र करना तथा मूल्य संवर्धन करके उन्हें अधिक बिक्री योग्य बनाना ।

(vi) उत्पादन और विपणन में विवेकपूर्ण निर्णय के लिए उपज के बारे में बाजार की जानकारी को सुगम बनाना।

(vii) साझा लागत के आधार पर भंडारण, परिवहन, लोडिंग अन / अनेक लोडिंग आदि जैसी - लाजिस्टिक सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।

(viii) खरीददारों को बेहतर मोल-भाव की ताकत के साथ और बेहतर और पारिश्रमिक कीमतों की पेशकश करने वाले विपणन चैनलों में कुल उपज का विपणन ।

- **मध्यम और दीर्घावधि दोनों में व्यापार योजना सम्बद्ध विकास एफ.पी.ओ. के लिए मजबूत व्यापार वृद्धि का हालमार्क होगी।**

4.0 एफ.पी.ओ. का गठन और कलस्टर क्षेत्र की पहचान के लिए रणनीति

4.1 एफ.पी.ओ. का गठन और संवर्धन उपज कलस्टर क्षेत्र पर आधारित है, जिसे मोटे तौर पर इस प्रकार परिभाषित किया गया है-

एफ.पी.ओ. के गठन और प्रबंधन के उद्देश्य से **"उपज कलस्टर क्षेत्र"** का अर्थ है एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें कृषि और संबद्ध उत्पादन जैसे कि समान या लगभग समान प्रकृति के बागवानी उत्पादों का उत्पादन/खेती की जाती है; ताकि उत्पादन और विपणन में मितव्यता का लाभ उठाने के लिए एक एफ.पी.ओ. का गठन किया जा सकता है । इसमे जैविक उत्पाद और प्राकृतिक खेती भी कवर होगी।

4.2 उपज कलस्टर क्षेत्र की पहचान कलस्टर आधारित व्यवसाय संगठन (सी.बी.बी.ओ.) के इनपुट और भारत सरकार के संगत संगठनों के सुझावों के साथ जिला स्तरीय निगरानी समिति, राज्य स्तरीय परामर्श समिति, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा राज्यों के साथ-साथ कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों के साथ की जाएगी।

4.3 सी.बी.बी.ओ. नियत क्लस्टरों में व्यवहार्यता अध्ययन कराएंगे जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) **बेसलाइन अध्ययन समेत नैदानिक अध्ययन-** जिसके अंतर्गत उपज और सामाजिक-सांस्कृतिक समानता, मौजूदा अंतर और संभावित गतिविधि, कृषि और बागवानी उपज की मूल्य श्रृंखला के लिए वांछित अवसंरचना, सेवा आदि के अर्थ में हस्तक्षेप जिसमें फसल-कटाई बाद के प्रबंधन और विपणन भी शामिल होंगे, का अध्ययन किया जाएगा। बेसलाईन अध्ययन में फार्मिंग, लघु, सीमान्त और भूमिहीन किसानों की मौजूदा स्थिति की पहचान करना भी शामिल होगा। ताकि उन्हें समेकित रुप में समझा जा सके, और संभावित हस्तक्षेप आदि के लिए न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र की पहचान करना भी शामिल होगा।

(ii) भावी व्ययसाय योजना ताकि आर्थिक रुप से स्थिर एफ.पी.ओ. के गठन के लिए उपयुक्तता स्थापित की जा सके।

4.4 स्कीम के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 300 कृषक सदस्यों वाले एफ.पी.ओ. जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी* क्षेत्रों में (जिनमें संघ राज्य क्षेत्र में स्थित ऐसे अन्य क्षेत्रों सहित) 100 की

संख्या वाले एफ.पी.ओ. भी पात्र होंगे। लगभग समान रूचि वाले सन्निकट स्थित किसान सदस्यों 15-20 सदस्यों के समूह में एकत्रित किया जाना है, इस समूह को किसान सहायता समूह (एफआईजी) अथवा स्व-सहायता समूह (एसएचजी), किसान क्लब (एफसी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), रायतू मित्र समूह कहा जाएगा। कुछ सामान्यताओं के आधार पर उत्पादक समूह अथवा गांव/पड़ोसी गांवों के कलस्टर में से ऐसे 20 अथवा अधिक समूहों को एक साथ मिलाकर कम से कम 300 किसान सदस्यों वाला एफ.पी.ओ. इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में पात्र होता है जबकि पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कम से कम 100 किसान सदस्यों वाला एफ.पी.ओ. बनाने के लिए 7-8 ऐसे समूहों को एक साथ मिलाया जाना है। इसमें एफ.पी.ओ. को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सदस्यों के रूप में छोटे, सीमांत और महिला किसानों/महिला स्वयं सेवा संगठन, एससी/एसटी किसानों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों आदि को शामिल करने के लिए विशेष फोकस किया जा सकता है।

*-पहाड़ी क्षेत्र का आशय एमएसएल से 1000 मीटर ऊँचा क्षेत्र

4.5 हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में 500 और पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 200 किसान की औसत सदस्यता के आकार को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक स्थिरता और लाभप्रदता के लिए बड़े आकार का किया जा सके । तथापि अनुभव/आवश्यकता के आधार पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) केन्द्रीय कृषि मंत्री के अनुमोदन से प्रति एफ.पी.ओ. के आधार पर न्यूनतम सदस्यता मानदंडों को संशोधित कर सकता है। मौजूदा लगभग 7000 ब्लॉक में से संभावना वाले 5000 ब्लॉक में कम से कम औसतन दो एफ.पी.ओ. का गठन करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तथापि देश के सभी ब्लॉक को कवर करने का प्रयास किया जायेगा ।

4.6 एफ.पी.ओ. जिंसों की उपज/व्यापार के प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन की आवश्यकता के आधार पर जिला स्तर और राज्य स्तर पर संघ बना सकते हैं, जो इस प्रतिस्पर्धा के युग में उत्तरजीविता और वृद्धि की स्केलिंग के लिए आवश्यक हैं। अपनी जरूरत और सफलता के आधार पर, वे राष्ट्रीय स्तर पर पैकेजिंग/ब्रांडिंग और गुणवत्ता वाले उपज के घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संघ बना सकते हैं। ऐसे संघ राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) की परामर्शिका प्राप्त करने के साथ-साथ मूल्यवर्धन व विपणन हेतु अवसंरचना और

आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करने के संबंध में उनके कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए इस योजना के तहत ऋण गारंटी सुविधा हेतु पात्र होंगे।

4.7 उत्पाद अथवा उत्पादों के मिश्रण हेतु कलस्टर आधारित दृष्टिकोण को अपनाते समय उत्पाद विशेष का विकास करने के लिए, "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट" जो उस जिले के लिए केन्द्रीत कृषि उत्पाद को घोषित करने के मामले में इस केन्द्रीत एफ.पी.ओ. का गठन किया जाएगा जिससे एफ.पी.ओ. को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए उत्पाद के प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक जिले में एक उत्पाद के लिए एक से अधिक क्लस्टर हो सकते हैं और क्लस्टरों को जिले से बाहर भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, एक एफ.पी.ओ. आर्थिक रूप से स्थायी होने और जोखिम में विविधता लाने और रिटर्न बढ़ाने के लिए, एफ.पी.ओ. में अतिरिक्त उत्पाद और सेवा मिश्रण भी होंगे; ताकि पूरे वर्ष सदस्यों के साथ पर्याप्त गतिविधियाँ और व्यस्तताएँ रहें। इसके अलावा, एफ.पी.ओ. प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन की आवश्यकता के अनुसार जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर अथवा उत्पादों को चिन्हित करने के मामले में भी संघबद्ध हो सकते हैं।

4.8 गहन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आकांक्षात्मक जिलों में एफ.पी.ओ. के गठन को प्राथमिकता देने और पर्याप्त समर्थन, हैंडहोल्डिंग, प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से एफ.पी.ओ. को आर्थिक रूप से स्थायी बनाने के प्रयास किए जाएंगे। हालाँकि, आकांक्षी जिलों में अगले 05 वर्षों में कुल लक्षित 10,000 एफ.पी.ओ. में से कम से कम 15% (अर्थात 1,500 एफ.पी.ओ.) का गठन करने और बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास किए जाएंगे, जिसके विकास के लिए देश के आकांक्षी जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक एफ.पी.ओ. होगा। जनजातीय समूहों द्वारा वन्य और गौण वन्य उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए देश में अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में एफ.पी.ओ. के गठन को प्राथमिकता देने और संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा गहन प्रयास किए जाएंगे। जनजातीय मामले मंत्रालय, डीओएनईआर और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के सहयोग से योजना के माध्यम से जनजातीय समुदाय और पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुणवत्ताप्रद इनपुट, प्रोद्योगिकी, ऋण और मूल्यसंवर्धन तथा प्रसंस्करण के साथ-साथ बेहतर मंडी पहुंच के लाभ मिलेंगे ।

4.9 मौजूदा एफ.पी.ओ. को भी प्रासंगिक लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी, यदि पहले भारत सरकार की किसी भी योजना में इसका लाभ नहीं उठाया गया हो, जैसे कि क्रेडिट गारंटी फंड

और राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) के तहत सलाहकार सेवाएं योजना। ऐसे एफ.पी.ओ. जो पहले से पंजीकृत हैं परन्तु उन्हें किसी अन्य योजनाओं के तहत निधियां प्रदान नहीं की गई है तथा उन्होंने अभी अपना कार्य शुरू नहीं किया है ऐसे एफ.पी.ओ. को इस योजना के तहत कवर किया जाना है।

5.0 राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए)

5.1 राष्ट्रीय स्तर पर समग्र परियोजना मार्गदर्शन प्रदान करने, एकीकृत पोर्टल व सूचना प्रबंधन के माध्यम से डाटा अनुरक्षण करने के लिए पारदर्शी ढंग से एसएफएसी द्वारा एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) की स्थापना की जाएगी। यह एनपीएमए अखिल भारतीय स्तर पर समग्र मार्गदर्शन करने के लिए कृषि / बागवानी, विपणन एवं प्रसंस्करण, इन्क्यूबेशन सेवा प्रदाताओं, आईटी/एमआईएस और विधि एवं लेखा क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली पांच श्रेणियों से तकनीकी दल से सुसज्जित होगी।

5.2 एनपीएमए की पहचान करने के लिए मानदंड:-

एनपीएमए से अपेक्षा की जाएगी कि वह सी.बी.बी.ओ. को परियोजना शुरू करने में सहयोग प्रदान करे, और उसके पास रणनीतिक भूमिकाओं अधिमानता राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कृषि क्षेत्र में कार्य का व्यापक अनुभव हो। एसएफएसी जब एनपीएमए के लिए मानदंड तैयार करते समय अपेक्षित विशेषज्ञों की योग्यताओं और अनुभव, कंपनी तथा सहकारी संगठनों दोनों में किसी संगठन/संस्था का मार्गदर्शन करने के प्रासंगिक उपयुक्त अनुभव को ध्यान में रखें जो स्कीम के तहत एनपीएमए के लिए परिकल्पित भूमिका के निर्वहन के लिए औचित्यपूर्ण ढंग से अपेक्षित है। क्षमता और अनुभव में कृषि/ बागवानी, लेखा एवं लेखापरीक्षा, अनुपालन विषयों, आईसीटी एवं एमआईएस अनुभव, इन्क्यूबेशन सेवाओं के क्षेत्र में संगठनात्मक प्रबंधन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, विपणन एवं मंडी संपर्क प्रदान करने का अनुभव, लेन-देन और लेन-देन के बाद के प्रबंधन सहयोग और कार्य के लिए प्रस्तावित विशेषज्ञों की योग्यता को ध्यान में रखा जा सकता है। एनपीएमए को नियुक्त करने की अवधि का निर्धारण समुचित रूप से किया जाना है।

5.3 एनपीएमए के कर्तव्य और दायित्व

एनपीएमए की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दी गई बातें शामिल होंगी:-

- **कलस्टरों का गठन करने सहित कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना**

एनपीएमए मूल्य श्रृंखला में शामिल प्रत्येक पदधारक के लिए विस्तृत एसओपी के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही अपने कार्य को शुरु करेगी। अपेक्षित लक्ष्य मूल्य श्रृंखला की पहचान करना कार्य योजना को तैयार करने का पहला चरण होगा। मूल्य श्रृंखलाओं की स्थापना कर दिए जाने के उपरांत एफ.पी.ओ. तैयार करने के लिए किन-किन कलस्टरों का चयन किया जाएगा, उसे निरूपित किया जाएगा। यहां, एनपीएमए आगे की कार्रवाई के लिए सी.बी.बी.ओ. के लिए विस्तृत एसओपी का प्रारूप तैयार करेगी। मूल्य श्रृंखला विश्लेषण में भी अग्रगामी/पश्चगामी दोनों ही लिंकेज तंत्र की पहचान की जाएगी।

- **सी.बी.बी.ओ. के चयन के लिए लेन-देन परामर्शिका**

एनपीएमए कार्यान्वयन एजेंसियों (जो उनका सहयोग चाहती हैं) को सी.बी.बी.ओ. के चयन के लिए लेन-देन परामर्शिका प्रदान करेगी। परियोजना निष्पादन के लिए कार्य योजना तैयार करने के उपरांत, एनपीएमए उक्त कलस्टरों के लिए लेन-देन के संचालन हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों की मदद करेगी जिसके आधार पर सी.बी.बी.ओ. को नियोजित किया जाएगा। विकल्प के तौर पर, कार्यान्वयन एजेंसियां स्वयं अपनी ओर से चयन प्रक्रिया संचालित कर सकती हैं। ऐसे कदम के लिए विस्तृत दायरा, संगत योग्यताओं और अनुभवों वाली टीम की अपेक्षा की जरूरत होगी।

- **प्रभावी परियोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए लेन-देन के बाद सहयोग:-**

अपेक्षानुसार सी.बी.बी.ओ. का चुनाव करने के उपरांत एनपीएमए परियोजना निष्पादन की प्रभावी कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए नामित राज्य कार्यान्वयन एजेंसिंयों सहित एसएफएसी, एनसीडीसी तथा नाबार्ड और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता के लिए जिम्मेदार होगी। सी.बी.बी.ओ. की (Key Performance Indicators) केपीआई आधारित मानीटरिंग नियमित आधार पर एनपीएमए द्वारा की जाएगी। एनपीएमए उसके बाद सी.बी.बी.ओ. के कार्य निष्पादन, एफ.पी.ओ. के गठन, सी.बी.बी.ओ. को दिए गए शुरूआती

सहयोग के बारे में मासिक आधार पर प्रस्तुत विस्तृत एमआईएस के माध्यम से एन-पीएमएएफएससी को जानकारी देगी। इस प्रयोजन के लिए आईसीटी आधारित एमआईएस पोर्टल का भी विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एनपीएमए परियोजना के प्रभावी निष्पादन के लिए सी.बी.बी.ओ. को शुरू किए जाने में भी सहयोग कर सकती हैं। एनपीएमए को सी.बी.बी.ओ. और पेशेवर एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के राज्यों को विशेषीकृत मानव श्रम की कमी को दूर करने तथा जहां भी आवश्यक हो वहां उनको बढ़ावा देने के लिए एफ.पी.ओ./एफ.पी.ओ. के परिसंघ को सीधे तौर पर सहायता करने सहित ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध विशेषज्ञता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यह राज्य (राज्यों) जहां विशेषज्ञों की अनुपलब्धता है वहां एफ.पी.ओ. के गठन और प्रचार में डीएसीएंडएफडब्ल्यू की सहायता करेगी। यह सलाह के लिए संपर्क करने वाले मौजूदा एफ.पी.ओ. को उचित पेशेवर परामर्श भी प्रदान करेगी। यह यथा अपेक्षित योजना के तहत मूल्यसंवर्धन संगठनों द्वारा संवर्धित किए जा रहे नए एफ.पी.ओ. को भी पेशेवर परामर्श प्रदान करेगी।

- **मंत्रालयों, वित्तीय संस्थाओं, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं जैसे पदधारकों से ढांचागत वार्तालाप में सहायता:-**

(i) एनपीएमए से इस व्यवस्था में विशिष्ट क्षमता लाने की अपेक्षा है। एनपीएमए विशिष्ट परिणामों वाली विस्तारित शाखा के रूप में भी होगी जो एन-पीएमएएफएससी के लिए होगी और केंद्रीय/राज्य विभागों, वित्तीय संस्थाओं, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास संस्थाओं या ऐसी अन्य मंचों के साथ वार्तालाप करेगी। एनपीएमए दृष्टिकोण की संरचना करने, आउटरीच सामग्री तैयार करने, विचार-विमर्श कराने और उनके लिए विषय तैयार करने और भागीदारी आदि के लिए एन-पीएमएएफएससी की सहायता करेगा।

(ii) राष्ट्र-स्तरीय डेटा कोष के रूप में कार्य करना और एफ.पी.ओ .के लिए राष्ट्रीय मंच के रूप में एकीकृत पोर्टल का अनुरक्षण, सेवा करनी होगी जो न केवल डेटा संबंधी जरूरत)एमआईएस (को पूरा करेगी अपितु विभिन्न हितधारकों के माध्यम से व्ययसाय संबंधी लेन देन हेतु डिजीटल प्लेटफार्म पर भी कार्य करेगी। यह समय-समय पर यथा आवश्यक रूप से डीएसीएंडएफडब्ल्यू, एन-पीएमएएफएससी और डीएमआई को अपेक्षित डेटा प्रदान करेगी और उनका विश्लेषण करेगी।

- **कार्यक्रम और नीति संबंधी निर्देशों को तैयार करने में सहायता**

एन-पीएमएएफएससी एफ.पी.ओ. के गठन के लिए ज्ञान सृजित करेगा और कार्यक्रम एवं नीति संबंधी सुझाव निर्देश तैयार करेगा। एनपीएमए परियोजना संचालन से प्राप्त जानकारी के आधार पर सुझाव तैयार करने में सहायता करेगी जो समूचे कृषि व्यापार में मूल्य संवर्धन की क्षमता रखने वाले हो।

- **राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नीति अभिमुखीकरण और संबंधित सिफ़ारिश**

एनपीएमए कृषि व्यवसाय के क्षेत्र की राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं को सहयोग एवं पहचान करने में सहायता करेगी। परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसे पदधारकों के साथ भागीदारी करना जरूरी है। एनपीएमए ऐसी संस्थाओं के साथ संपर्क करने और दीर्घकालिक नियोजन के लिए समझौता करने में सहायता करेगी, जो एफ.पी.ओ. को तैयार करने के लिए जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त, एनपीएमए पदधारकों के बीच हिमायती चर्चा में सहायता करेगी।

6.0 कार्यान्वयन एजेंसी

6.1 एफ.पी.ओ. को समान और प्रभावी तरीके से बनाने और बढ़ावा देने के लिए ताकि 5 वर्षों में 10,000 नए एफ.पी.ओ. के गठन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और एफ.पी.ओ. को आर्थिक रूप से स्थायी बनाने के लिए, शुरू में एफ.पी.ओ. बनाने और बढ़ावा देने के लिए तीन कार्यान्वयन एजेंसियां, अर्थात एसएफएसी, एनसीडीसी और नाबार्ड होंगी।

6.1.1 एसएफएसी कंपनी अधिनियम के भाग IX A के तहत शामिल किए जाने वाले एफ.पी.ओ. को बनाएगी और बढ़ावा देगी।

6.1.2 एनसीडीसी सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाले एफ.पी.ओ. को बनाएगी और बढ़ावा देगी।

6.1.3 नाबार्ड उन एफ.पी.ओ. को बनाएगा और बढ़ावा देगा जो या तो कंपनी अधिनियम के भाग IX A के तहत शामिल किए गए हैं या सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।

6.2 यदि कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्वयं की कार्यान्वयन एजेंसी रखने के लिए इच्छुक है, तो वे तीन कार्यान्वयन एजेंसियों के अलावा, राज्य संगठन/एजेंसी, इसकी गतिविधियों और अनुभवों और मौजूदा जनशक्ति के बारे में विवरण के साथ डीएसीएंडएफडब्ल्यू से संपर्क कर सकते हैं। डीएसीएंडएफडब्ल्यू एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन में अपने अनुभव के संदर्भ में योग्यता आधार पर प्रस्ताव पर विचार करेगा।

6.3 डीएसीएंडएफडब्ल्यू उसके उपरांत शीघ्र ही अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करके उन्हें विभिन्न क्षेत्रों को कवर करके कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार 10000 एफ.पी.ओ. के गठन के लिए भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार कार्य सौंपेगा।

6.4 डीएसीएंडएफब्ल्यू द्वारा प्रारंभिक कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ-साथ राज्य-स्तरीय अथवा अन्य कार्यान्वयक एजेंसियों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।

6.5 राज्य/क्षेत्रों/जिलों/उत्पादक कलस्टरों में कार्यान्वयक एजेंसियों के कार्यान्वयन हेतु उनके मानव संसाधन का वर्ष-वार सांकेतिक लक्ष्य तथा विशेषिकरण का क्षेत्र, लक्ष्यों को अनंतिम रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्शिका एवं निधि संस्वीकृति समिति (एन-पीएमएएफएससी) द्वारा कार्यान्वयक एजेंसियों के साथ परामर्श करके आवंटित किया जाना है। ऐसे मामले में आवश्यकता के आधार पर लक्ष्यों को अंत:-परिवर्तित किया जा सकता है।

6.6 कार्यान्वयक एजेंसियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

(i) कार्यान्वयन एजेंसियां सी.बी.बी.ओ. के साथ निकटता और सामंजस्यपूर्ण स्थापित करके कार्य करेंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सी.बी.बी.ओ. अपने कार्यकलाप एफ.पी.ओ. को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए कर रहे हैं।

(ii) कार्यान्वयक एजेंसियां संबंधित एफ.पी.ओ. के विवरण के संबंध में एकीकृत पोर्टल पर प्रविष्टि कराने के लिए सी.बी.बी.ओ. की निगरानी भी करेंगी।

(iii) एफ.पी.ओ. पर डाटाबेस की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समेकित पोर्टल की शुरूआत होने तक कार्यान्यवन एजेंसियां अपने एमआईएस पोर्टल के माध्यम से संचालित कर सकती है। राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) के माध्यम से प्रबंधित राष्ट्रीय स्तर के समेकित पोर्टल के शुरू होने के पश्चात कार्यान्वयन एजेंसियों को समेकित पोर्टल

डिजाइन और अपेक्षा के साथ समन्वय में निर्विघ्न डाटा अंतरण सुनिश्चित करने के लिए समेकित पोर्टल के साथ अंतर-संचालन सुनिश्चित करना होगा। साफ्टवेयर को एकीकृत पोर्टल के साथ अंतर-संचालनात्मक बनाने का प्रयास करेंगी यदि वे एफ.पी.ओ.के संबंध में अपने स्वयं के स्वतंत्र साफ्टवेयर तैयार कराती हैं।

(iv) नाबार्ड और एनसीडीसी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रेडिट गारंटी फंड रखेंगी और उनका प्रबंधन करेंगी।

(v) डीएसीएंडएफडब्ल्यू के परामर्श से कार्यान्वयक एजेंसियां एफ.पी.ओ. के लिए एक रेटिंग साधन तैयार करेंगी ताकि उनकी गतिविधि के स्तर, आर्थिक व्यवहार्यता और स्थिरता आदि के संदर्भ में मूल्यांकन किया जा सके। एफ.पी.ओ. की रेटिंग का उपयोग एफ.पी.ओ. को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में किया जा सकता है।

(vi) कार्यान्वयक एजेंसियां वार्षिक कार्य योजना बनाएंगी और विनिर्धारित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित परियोजना प्रबंधन परामर्शिका एवं निधि संस्वीकृति समिति (एन-पीएमएएफएससी) के विचारार्थ पहले से डीएसीएंडएफडब्ल्यू के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

(vii) डीएसीएडंएफडब्ल्यू/एन-पीएमएएफएससी द्वारा नियत कार्यान्वयन एजेंसी एफ.पी.ओ. प्रबंधन लागत के साथ-साथ उन संगठनों द्वारा एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन के स्तर और भुगतान के लिए एन-पीएमएएफएससी को अपने दावे को भेजने के लिए इक्विटि अनुदान की अपेक्षाओं के साथ-साथ समय-समय पर दस्तावेजी प्रूफ के साथ पिछली राशि के उपयोग के संबंध में संबंधित मूल्य संवर्धन संगठनों के साथ समन्वय करेगी।

(viii) अन्य कार्यान्वयक एजेंसियां डीएसीएंडएफडब्ल्यू की पूर्व अनुमति से गठित की जा सकती हैं, एफ.पी.ओ. के लिए इनकी निगरानी एवं डेटा प्रबंधन इकाईयां एफ.पी.ओ. की बढ़ती मात्रा का प्रबंधन करेंगी तथा एनपीएमए के साथ उनकी गतिविधियों को संकलित करेगी ताकि राष्ट्रीय स्तरीय डेटा कोष के रूप में सभी प्रकार के आवश्यक इनपुट प्रदान किए जा सके।

7.0 कलस्टर आधारित व्यापार संगठन (सी.बी.बी.ओ.)

7.1 कार्यान्वयक एजेंसियां, एफ.पी.ओ. को बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य/कलस्टर स्तर पर कलस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सी.बी.बी.ओ.) की

स्थापना करेंगी। हालाँकि, उत्पादक कलस्टरों, पूरे अथवा राज्य के किसी भाग अथवा क्षेत्र के लिए लक्ष्य परियोजना प्रबंधन परामर्शिका एवं निधि संस्वीकृति समिति (एन-पीएमएएफएससी) द्वारा आवंटित किये जाएंगें। कार्यान्वयक एजेंसियां उचित परिश्रम से यह सुनिश्चित करेगी कि पेशेवर रूप से सक्षम सी.बी.बी.ओ. पारदर्शी रूप से कार्यरत हैं।

क) एक राज्य में भौगोलिक परिस्थिति, उत्पादन कलस्टर, फसल पद्धति, आदि के आधार पर एक या एक से अधिक सी.बी.बी.ओ. हो सकते हैं। यहां तक कि एक सी.बी.बी.ओ. छोटे राज्यों में एक से अधिक राज्यों में कार्य कर सकता है। तथापि सी.बी.बी.ओ. को उनके पास उपलब्ध मानव संसाधन उनके पिछले टर्नओवर और कार्य अनुभव आदि के साथ कार्य दिया जा सकता है।

ख) सी.बी.बी.ओ., कृषि और संबद्ध क्षेत्र में फर्म, कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सहकारी/समिति, केवीके और ऐसे अन्य संगठन का गठन कर सकते हैं जिनके पास एफ.पी.ओ. के गठन और और उन्हें समर्थन प्रदान करने का व्यावसायिक अनुभव है।

ग) सी.बी.बी.ओ. को इन पाँच प्रकार के विशेषज्ञों से सहायता करनी चाहिए (i) फसल उत्पादन; (ii) कृषि विपणन / मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण; (iii) सामाजिक संग्रहण; (iv) विधि और लेखा; तथा (v) कृषि और कृषि विपणन में आईटी/एमआईएस। सी.बी.बी.ओ. अपने स्वयं के कार्यालयों से रखे / संचालित अन्य तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या के साथ संबंधित राज्यों में या संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्यालयों उन्हे नियुक्त कर सकता है, जिन्होंने उन्हें चुना है।

7.2 सी.बी.बी.ओ. की पहचान हेतु मानदंड

(क) सी.बी.बी.ओ. के रूप में कार्य करने के लिए पेशेवर संगठन की पहचान एक पारदर्शी तरीके का पालन करते हुए चयन करके की जाएगी और ऐसे संगठन से ऐसे तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाएगा जैसे स्कीम के अंतर्गत परिकल्पित उसकी भूमिका के निर्वहन हेतु जरूरी हो।

(ख) प्रबंधक निदेशक, एसएफएसी की अध्यक्षता में अध्यक्ष, नाबार्ड और एमडी, एनसीडीसी के प्रतिनिधित्व सहित एक समिति सी.बी.बी.ओ. के चयन के लिए पात्रता और योग्यता तथा अन्य न्यूनतम अनिवार्यताओं पर विचार करेगी और मंजूरी देगी। यह समिति सी.बी.बी.ओ. के आवश्यक विशेषज्ञों की न्यूनतम आवश्यक योग्यता, विशेषज्ञता क्षेत्र और न्यूनतम अनुभव के साथ-साथ सी.बी.बी.ओ. के रूप में चुने जाने के लिए संगठन की निवल पूंजी पर विचार कर सकती है। चयन के लिए मानदंडों को अंतिम रूप डीएसीएंडएफडब्ल्यू के अनुमोदन के साथ दिया जाएगा।

(ग) कार्यान्वयन ऐजेंसियां आवश्यकतानुसार चयन प्रक्रिया में सहयोग हेतु एनपीएमए की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी तथा आवश्यक किसी क्लस्टर में उनके द्वारा नियुक्त करने के लिए पैनलबद्ध सी.बी.बी.ओ. की सूची तैयार करेगी।

(ङ) नए एफ.पी.ओ. के गठन के उद्देश्य से सी.बी.बी.ओ. की परारंभिक नियुक्ति अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी (जिसके लिए वह इस योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक संबंधित एफ.पी.ओ. के लिए समग्र प्रासंगिक पांच वर्षों हेतु प्रारंभिक सहायता जारी रखेंगी)। सी.बी.बी.ओ. के कार्यनिष्पादन के मामले में कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा संतोषजनक पाए जाने पर उनकी कार्य अवधि को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है।

(च) कार्यान्वयक एजेंसी समय-समय पर सी.बी.बी.ओ. के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेंगी ताकि उनकी सेवाएं जारी रखी जाएं अथवा अन्यथा सुनिश्चित करेगी की एफ.पी.ओ. के गठन व प्रचार में सी.बी.बी.ओ. समक्ष रूप से कार्य निष्पादन करेगी।

(छ) इच्छुक राज्य और केन्द्रीय सरकारी कृषि विश्वविद्यालय और केवीके जो एफ.पी.ओ. को बढ़ावा दे रहे हैं को नामांकन आधार पर एन-पीएमएएफएससी के परामर्श से यथा प्रासंगिक रूप से सी.बी.बी.ओ. के रूप में पैनलबद्ध किया जा सकता है।

(ज) डीएसीएंडएफडब्ल्यू के अधीनस्थ एवं संलग्न संगठन को नामांकन आधार पर एन-पीएमएएफएससी के परामर्श से प्रचालनात्मक आवश्यकता के आधार पर सह-चयनित किया जा सकता है।

7.3 सी.बी.बी.ओ के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

क) एनपीएमए के सुझाव और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में सहायता करना।

ख) कलस्टर पहचान में कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता करना।

ग) समुदाय प्रोत्साहन मे सहायता - आधारभूत सर्वेक्षण, कलस्टर के अंतिम चयन, मूल्य श्रृंखला अध्ययन, समूहों और एफ.पी.ओ. के निर्माण तथा उनकी आवधिक बैठकों में सहायता करना। वे उचित उत्पादक कलस्टर की पहचान करने और सदस्यों के एकत्रीकरण में जब भी व्यवहार्य हो तब स्थानीय निकायों से सहायता मांग सकते है।

घ) एफ.पी.ओ. का पंजीकरण और पंजित बीओडी का प्रशिक्षण, जिम्मेदारियों, प्रबंधन- कम्पनियों/एफ.पी.ओ. कम्पनी रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रेशन; पूंजी/इक्विटी जुटाना।

ङ) एफ.पी.ओ./किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण - प्रशिक्षण माड्युल विकसित करना; बुनियादी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन एवं परिचय दौरे ।

च) एफ.पी.ओ. के सदस्यों के बीच सामान्य सामंजस्य को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना।

छ) एफ.पी.ओ. की दीर्घावधि स्थिरता के लिए व्यवसाय योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना- व्यवसाय योजना के लिए (विभिन्न इंकुबेशन सेवाओं के लिए); भू अधिग्रहण, इक्विटी पूंजी जुटाना और एफ.पी.ओ. की दीर्घावधि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान साझाकरण, उत्पाद के समेकन, गुणवत्ता प्रबंधन, परख, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, आपूर्ति श्रृंखला विकास और विपणन तथा क्रेताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं/निर्यातकों, व्यापार, निर्यात आदि के लिए यथावश्यक मंडी संपर्क के माध्यम से इनपुट प्रबंधन, उचित और अच्छी कृषि प्रणालियों को अपनाने में सहायता देते हुए व्यापार योजना का कार्यान्वयन ।

ज) विभिन्न सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थाओं/प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं जैसे हितधारकों की कलस्टर स्तर पर नियमित परिचय बैठकों में सहायता करना;

झ) आवश्यकता और वृद्धि के अनुसार इक्विटि अनुदान और ऋण गारंटी सुविधा प्राप्त करने में एफ.पी.ओ. को सहायता करना।

ञ) स्थिरता के लिए इन्क्यूबेसन/हैण्डहोल्डिंग सेवाएं- इन्क्यूबेसन कार्यकलापों के अध्ययन में सहयोग और निगरानी प्रदान करना; बीओडी और एफ.पी.ओ. प्रबंधन के लिए स्थिरता हेतु क्षमता निर्माण। इन्क्यूबेसन/हैण्डहोल्डिंग सेवाओं में जानकरी, ऋण, मंडी, कार्यान्वयन एवं तैयारी संबंधी व्यवसाय योजनाएं सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही आवश्यक साझा सुविधा की स्थापना में सहयोग करना;

ट) दीर्घावधि व्यवहार्यता के लिए व्यापार के विकास हेतु यथावश्यक एफ.पी.ओ. द्वारा अनिवार्य सामान्य पूल उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधा की स्थापना की सुविधा देना।

ठ) चिन्हनांकन, अनुपालन और वैश्विक बाजार जुड़ाव में सहायता;

ड) वांछित परिणाम के अनुसार कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय दल की समीक्षा और मानीटरिंग

ढ) बाजार और फसल परामर्शिका के माध्यम से किसानों को जानकारी दिलाने में सहयोग करना;

ण) सभी विनिर्दिष्ट लक्ष्य कार्यकलापों पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करके एनपीएमए को आवधिक आधार पर प्रस्तुत करना;

त) सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम/परियोजना के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं।

थ) विषय में एफ.पी.ओ. की क्षमता निर्माण सहित अन्य मामलों के अनुपालन में सहायता करना।

द) आंकड़े तैयार करने और अपेक्षित डेटा शीट पर एमआईएस रिपोर्ट/सूचना तैयार करने में एनपीएमए और कार्यान्वयन एजेंसी की सहायता करना

ध) एफ.पी.ओ. की रेटिंग में यथावश्यक कार्यान्वयन एजेंसी और एनपीएमए की सहायता करना।

न) व्यापार वृद्धि और विस्तार के लिए आवश्यकता पड़ने पर एफ.पी.ओ. का संघ बनाने में सहायता करना।

प) उचित वित्तीय प्रबंधन और निधियों के उपयोग तथा लेखों एवं रिटर्न व प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत करने में एफ.पी.ओ. की सहायता करना।

फ) परियोजना के कार्यान्वयन, प्रबंधक और मानीटिरिंग से संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप

ब) राज्य सरकार, एनजीओ, आरआई, केवीके या किसी अन्य सहायक संस्था के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारको को मिलाकर गठित एक सलाहकार निकाय परियोजना कार्यान्वयन के लिए सक्रिय मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

7.4 सी.बी.बी.ओ को भुगतान

(क) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सी.बी.बी.ओ. को भुगतान किया जाएगा। उचित पारिश्रमिक लागू करने और सी.बी.बी.ओ. के प्रदर्शन के साथ खुद को संतुष्ट करने के बाद कार्यान्वयन एजेंसियां डीएसीएंडएफडब्ल्यू के समक्ष नीचे धारा (ग) के अनुसार दावा प्रस्तुत करेंगी । परियोजना प्रबंधन सलाहकार और निधि अनुमोदन समिति (एन-पीएमएएफएससी) दावा पर विचार करेगी।

(ख) भुगतान को पहले से रिलीज धनराशि का उपयोग प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद जारी किया जाएगा।

(ग) सी.बी.बी.ओ. के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

(i) एफ.पी.ओ. परियोजना के प्रथम छह माह के लिए सी.बी.बी.ओ. के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसमें एफ.पी.ओ. निर्माण के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट और एग्रीगेशन कार्यकलाप भी शामिल होगा।

(ii) छह माह से 1 वर्ष अवधि में सी.बी.बी.ओ. के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन (क) आवंटित आकांक्षात्मक जिले के विभिन्न ब्लॉकों में गठित एफपीओ की संख्या, यदि कोई हो (ख) मैदानी क्षेत्रों में 300 और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों (संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अन्य

क्षेत्रों सहित) में 100 सदस्य की न्यूनतम सदस्यता के एफ.पी.ओ. के सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किए गए किसानों की संख्या, जो निर्धारित न्यूनतम संख्या के अनुसार होगी। (ग) एफ.पी.ओ. का पंजीकरण (घ) एफ.पी.ओ. के लिए व्यवसाय योजना तैयार किए जाने के आधार पर किया जाएगा।

(iii) दूसरे वर्ष, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन (क) एफ.पी.ओ. द्वारा प्राप्त प्रथम इक्विटी ग्रांट; (ख) व्यावसायिक कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई कानूनी सहमति (ग) व्यवसाय योजना के अनुसार निष्पादित न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यवसाय कार्यकलाप और (घ) सदस्यों/बीओडी के लिए आयोजित आरंभिक जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या (ड.) एफ.पी.ओ. द्वारा प्राप्त इक्विटी ग्रांट की पहली किस्त, यदि हो, (च) एफ.पी.ओ. द्वारा प्राप्त ऋण गारंटी सुविधा को पहली किस्त, यदि हो (छ) सीईओ/बीओडी को दिए गए संस्थागत प्रशिक्षण (ज) ई-नाम प्लेटफार्म पर एफ.पी.ओ. का पंजीकरण और व्यापार के आधार पर किया है।

(iv) तीसरे और चौथे वर्ष सी.बी.बी.ओ. के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन (क) तीसरे वर्ष प्रत्येक सदस्य को शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, यदि हो (ख) दूसरे और तीसरे वर्ष एफ.पी.ओ. के लिए आडिटेड वित्तीय विवरण समय पर तैयार करके उसे समय पर प्रस्तुत किया जाना (ग) विपणन एजेंसियों संस्थागत क्रेताओं के साथ व्यवसाय योजना के अनुसार एमओयू और वेंडर पंजीकरण (घ) ई-नाम/अन्य स्रोतों पर उपज का व्यापार/अपलोडिंग यदि हो (ड.) एफ.पी.ओ. को इक्विटी ग्रांट की दूसरी किस्त यदि हो (च) ऋण गारंटी सुविधा यदि है, कि दूसरी किस्त के आधार पर किया जाएगा।

(v) पांचवे वर्ष सी.बी.बी.ओ. के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन (क) एफ.पी.ओ. के आडिटेड लेखा विवरण और फाइलिंग (ख) कृषि व्यवसाय योजना का 100 प्रतिशत निष्पादन और मूल्य श्रृंखला तैयार करना; और (ग) कम से कम 3 निरंतर वर्षों में दर्शाने वाला राजस्व मॉड्यूल (घ) विस्तृत परियोजना समापन रिपोर्ट (ड.) ऋण गारंटी सुविधा यदि है, की तीसरी किस्त के आधार पर किया जाएगा।

8.0 बजटीय प्रावधान

8.1 वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 10,000 एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन पर योजना 4496.00 करोड़ रु. की बजटीय सहायता के साथ कार्यान्वित की जानी है। । चूंकि प्रबंधन लागत को छोड़कर वित्तीय सहायता पांच साल के लिए प्रदान की जाती है। इसलिए, इसे 2024-25 से 2027-28 की अवधि के लिए 2369.00 करोड़ रूपए अर्थात 2370.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रतिबद्ध देयता के साथ गठित किए गए एफ.पी.ओ. को वर्ष 2027-28 तक वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी। अत: वर्ष 2027-28 तक 6866.00 करोड़ रूपए की कुल बजटीय आवश्यकता होगी। बजटीय आवश्यकाता को डीएसीएवंएफडब्ल्यू के कुल आवंटन से पूरा किया जाना है।

8.2 कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान

8.2.1 डीएसीएंडएफडब्ल्यू एन-पीएमएएफएससी की सिफारिशों के आधार पर छमाही रूप से एनपीएमए, एफ.पी.ओ. के गठन और सी.बी.बी.ओ. को इंकुबेशन लागत के लिए व्यय पूरा करने के साथ साथ इस कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए संबंधित सी.बी.बी.ओ. की सिफारिश पर संबंधित एफ.पी.ओ. के खाते में सीधे एफ.पी.ओ. प्रबंधन की लागत को वहन करना और इक्विटी अनुदान आदि के लिए कार्यान्वयक एजेंसियों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तथा विधिवत रूप से जमा किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम रूप से भुगतान करेगा। कार्यान्वयन एजेंसियां अपने विभिन्न चरणों और शामिल भुगतान के घटक के आधार पर भुगतान अनुसूची विकसित करेंगी। कार्यान्वयन एजेंसियां भुगतान जारी करने के लिए डीएसीएंडएफडब्ल्यू से मांग करेंगी । कार्यान्वयन एजेंसियां उन्हें अगला भुगतान जारी करने के लिए जी एफ आर के अनुसार जारी अंतिम भुगतान के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी। प्रशिक्षण के मामले में, नाबार्ड और एनसीडीसी अपने संबंधित नोडल प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आयोजित विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए अनंतिम व्यय के साथ एन-पीएमएएफएससी को एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। डीएसी और एफडब्ल्यू नाबार्ड और एनसीडीसी द्वारा क्रमशः उठाई गई मांग के आधार पर विशेष संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए नाबार्ड और एनसीडीसी को देय भुगतान करेगा और दोनों के द्वारा डीएसीएंडएफडब्ल्यू को यथावत उपयोग प्रमाण पत्र देना

होगा। इसके अलावा, जहां तक नाबार्ड और एनसीडीसी द्वारा रख रखाव और प्रबंधित किए जाने वाले डीएसीएंडएफडब्ल्यू के अंश क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफ) का प्रश्न है तो डीएसीएंडएफडब्ल्यू अपना अंशदान कैबिनेट नोट में अनुमोदन के अनुसार प्रदान करेगा और नाबार्ड और एनसीडीसी , जैसा भी मामला हो, सीजीएफ की अगली किस्त के लिए आगे की मांग करने से पहले डीएसी और एफडब्ल्यू को उपयोग की स्थिति का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करेगा।

8.2.2 कार्यान्वयन एजेंसी के पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान (आईए)

कार्यान्वयन एजेंसियां (अर्थात एसएफएसी और एनसीडीसी) को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में अनुमानित वार्षिक व्यय की 3% की दर से अग्रिम राशि दी जाएगी; जबकि अतिरिक्त राशि 2% की दर से उनके प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर उन्हें दी जाएगी। पर्यवेक्षण राशि दो किश्तों में जारी की जाएगी और दूसरी किश्त प्रदर्शन के मूल्यांकन के बाद जारी की जा सकती है। इस राशि में क्रेडिट गारंटी योजना और इक्विटी अनुदान के लिए व्यय शामिल नहीं होगा। हालांकि, नाबार्ड, सहमति के रूप में, योजना के तहत एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन की दिशा में की गई गतिविधियों के लिए कोई पर्यवेक्षण शुल्क नहीं लेगा। पर्यवेक्षण शुल्क के इस खाते पर व्यय को इस योजना के बजट से पूरा किया जाएगा।

प्रदर्शन मूल्यांकन एन-पीएमएएफएससी द्वारा त्रैमासिक या छमाही आधार पर,जैसा भी उचित हो, किया जाएगा। एन-पीएमएएफएससी डीएसीएंडएफडब्ल्यू को अतिरिक्त राशि @ 2% तक जारी करने पर विचार करने की सिफारिश करेगा। । प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड निम्नानुसार हो सकते हैं-

(i) एफ.पी.ओ. के पंजीकरण की तारीख से पहली चार तिमाही के दौरान, पंजीकृत एफ.पी.ओ. की संख्या प्रदर्शन के आकलन के लिए आधार होगी।

(ii) एफ.पी.ओ. के पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष के बाद की शेष अवधि के लिए, मापदंड हो सकते हैं जैसे (क) उनकी गतिविधियों द्वारा प्रदर्शित एफ.पी.ओ. की सक्रियता; (ख) व्यवसाय विकास योजना को अपनाना और क्रियान्वित करना; और एन-पीएमएएफएससी द्वारा तय किए गए अन्य।

(iii) गठित एफ.पी.ओ. की स्थिरता ।

9.0 एफपीओ गठन और इनक्यूबेशन लागत जिसमें एन पी एम ए लागत सहित सी बी बी ओ की लागत और मॉनिटरिंग एंड डेटा मैनेजमेंट / एम आई एस पोर्टल की लागत शामिल है

9.1 सीबीबीओ के गठन और इनक्यूबेशन लागत @ 25 लाख रुपए / एफपीओ या वास्तविक जो कि कम है, निर्माण के वर्ष से पांच साल के लिए प्रदान किया जाना है। इसमें आधारभूत सर्वेक्षण करने, किसानों को जुटाने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और विगोपन दौरे, प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग्स, इन्क्यूबेशन, आकर्षक सीबीबीओ और अन्य ओवरहेड्स की लागत आदि की लागत शामिल है। इसी प्रकार, एमआईएस पोर्टल के मानवश्रम, स्थापना, यात्रा और परामर्शिका तथा अनुरक्षण के लिए एनपीएमए की लागत हेतु भी प्रावधान है। इसमें इस योजना के लिए उपयुक्त समग्र आईसीटी आधारित एमआईएस वेबपोर्टल के विकास हेतु लागत के लिए भी प्रावधान किया गया है।

10.0 एफपीओ प्रबंधन लागत

10.1 इस योजना के तहत, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को अधिकतम 18 लाख रुपए/ एफपीओ या वास्तविक, जो भी कम हो, निर्माण के वर्ष से तीन साल के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। यह वित्तीय सहायता एफपीओ की संपूर्ण प्रशासनिक और प्रबंधन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह एफपीओ को स्थायी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इसलिए, गठन के चौथे वर्ष के बाद, एफपीओ को अपने स्वयं के व्यावसायिक कार्यकलापों से वित्तीय सहायता का प्रबंधन करना है। सांकेतिक वित्तीय सहायता मोटे तौर पर (i) इसके सीईओ/प्रबंधक (अधिकतम 25000 रूपये प्रति माह) और एकाउंटेंट (अधिकतम 10000 रूपये प्रति माह) के वेतन को कवर करती है; (ii) एक बारगी पंजीकरण लागत (एकबारगी अधिकतम 40000 रूपये अथवा वास्तविक जो भी कम हो); (iii) कार्यालय का किराया (अधिकतम 48000 रूपये प्रति वर्ष); (iv) उपयोगिता शुल्क (एफपीओ के कार्यालय के बिजली और टेलीफोन शुल्क अधितम 12000 रूपये प्रतिवर्ष); (v) मामूली उपकरण (फर्नीचर और सज्जा सहित अधिकतम 20000 रूपये तक) के लिए एक बारगी लागत; (vi) यात्रा और बैठक की लागत (अधिकतम 18000 रूपये प्रतिवर्ष) ; और (vii) विविध (साफ-सफाई, स्टेशनरी आदि अधिकतम 12000 रूपये प्रतिवर्ष)। इसके अलावा, प्रचालनों, प्रबंधन,

कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और बुनियादी ढाँचे के विकास के किसी भी व्यय को एफपीओ द्वारा उनके वित्तीय स्रोतों से किए जाएंगे।

10.2 एफपीओ किसानों का संगठन है, एफपीओ के लिए यह संभव नहीं है कि वह खुद ही अपनी गतिविधियों और दिन प्रतिदिन के कारोबार को पेशेवर रूप से संचालित करे, इसलिए, एफपीओ को कुछ व्यावसायिक रूप से सुसज्जित प्रबंधक/सीईओ की आवश्यकता होती है, जो अपनी गतिविधियों को पूरा करने के लिए और दिन प्रतिदिन के कारोबार के लिए एकमात्र उद्देश्य रखते हैं ताकि एफपीओ को आर्थिक रूप से टिकाऊ और किसानों के हितकारी कृषि-उद्यम बनाया जा सके । न केवल व्यावसायिक विकास के लिए बल्कि एफपीओ के लोकतंत्रीकरण और इसके संचालन तंत्र को मजबूत करने में पेशेवर का बहुत अधिक महत्व है। इस तथ्य को सत्यापित करने के लिए, सबसे सफल उदाहरण भारत में डेयरी सहकारी समिति का है जहां पेशेवर प्रबंधकों ने इसे सफल बनाने में अहम योगदान दिया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो पेशेवर प्रबंधकों की पूर्ण आवश्यकता को साबित करते हैं। पेशेवर कर्मचारियों की संख्या व्यवसाय संचालन के भौगोलिक प्रसार, गतिविधियों की विविधता और व्यवसाय की मात्रा पर निर्भर हो सकती है। हालांकि, एक एफपीओ में न्यूनतम सीईओ / प्रबंधक और एक एकाउंटेंट होना चाहिए। एफपीओ में लेखाकार आवश्यक है ताकि वह अपने दिन-प्रतिदिन के लेखा-जोखा का काम देख सके। आवश्यकता के आधार पर, एफपीओ अन्य कर्मचारियों को भी संलग्न कर सकता है।

10.3 सीईओ / प्रबंधक को एफपीओ के कार्यकारी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए जो कृषि / कृषि विपणन / कृषि-व्यवसाय प्रबंधन या बीबीए या समकक्ष में स्नातक होना चाहिए। 10 + 2 के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध पेशेवर और कृषि / कृषि विपणन / कृषि-व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा या ऐसे अन्य संबंधित क्षेत्रों में डिप्लोमा धारक को भी वरीयता दी जा सकती है। लेखाकार के पास अनिवार्य विषय के रूप में गणित अथवा वाणिज्य के साथ वैकल्पिक अथवा अकाउंटेसी पृष्ठभूमि सहित 10 + 2 की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अगर एफपीओ का कोई भी सदस्य उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है।

10.4 इस योजना के तहत, सीईओ / प्रबंधक के लिए वेतन के रूप में वित्तीय सहायता को 25,000/- रुपए प्रति माह की दर से और लेखाकार को 10,000/- रुपए प्रति माह की दर से केवल पहले 3 वर्षों के लिए 5% तक वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ निर्धारित वित्तीय सहायता

प्रदान की जानी है। इसके बाद, एफपीओ अपने स्वयं के संसाधनों से सीईओ/प्रबंधक और लेखाकार के वेतन का प्रबंधन करेगा। सीईओ / लेखाकार की अच्छी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रुचि पैदा करने के लिए, एफपीओ सरकार की सहायता अधिक अपने स्वयं के स्रोतों से उच्च भुगतान की पेशकश भी कर सकता है। एक सीईओ एक समय में एक ही एफपीओ के लिए पूर्णकालिक सेवाएं प्रदान करेगा। यह संबंधित निदेशक मंडल (बीओडी) और सीबीबीओ का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी कि वह एफपीओ की स्थिरता के लिए व्यवसाय के विकास के लिए सीईओ द्वारा गुणवत्तपूर्ण सेवाऐं प्रदान करे।

10.5 वन टाइम पंजीकरण लागत: इस योजना के तहत, कंपनी अधिनियम के तहत एफपीओ को शामिल करने की पंजीकरण या सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकरण लागत 40,000/- या वास्तविक, जो भी कम हो,रुपये की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। और शेष, यदि कोई हो, संबंधित एफपीओ द्वारा वहन किया जाएगा।

10.6 एफपीओ संबंधित सीबीबीओ के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को यथावश्यक प्राप्त और उपयोग की गई एफपीओ प्रबंधन लागत के लिए आवधिक उपयोगिता प्रमाणपत्र भी अग्रेषित करेगा।

11.0 इक्विटी-ग्रांट के लिए प्रावधान

11.1 सरकार से एक मिलान इक्विटी अनुदान द्वारा पूरक निर्माता सदस्यों की अपनी इक्विटी, जो कि एफपीओ के वित्तीय आधार को मजबूत करने और उन्हें अपनी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने और व्यापार विकास के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए आवश्यक है। इक्विटी अनुदान प्रति एफपीओ 15.00 लाख निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन प्रति किसान सदस्य 2,000 रुपये के बराबर अनुदान के रूप में होगा। यह इक्विटी ग्रांट इक्विटी में सरकार की भागीदारी के रूप में नहीं है, बल्कि केवल एफपीओ के लिए एक अनुदान के रूप में किसान सदस्यों की इक्विटी के रूप में है। इसलिए, डीएसी एंड एफडब्ल्यू में 1500 करोड़ रुपए से सभी 10,000 एफपीओ को कवर करने की योजना प्रस्तावित है, यदि अधिकतम अनुमत इक्विटी सभी 10,000 एफपीओ में योगदान किया जाता है।

11.2 इक्विटी ग्रांट के उद्देश्य - इक्विटी ग्रांट के उद्देश्य (i) एफपीओ की व्यवहार्यता और स्थिरता को बढ़ाना; (ii) एफपीओ की क्रेडिट योग्यता में वृद्धि; और (iii) अपने एफपीओ में स्वामित्व और भागीदारी बढ़ाने के लिए सदस्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना।

11.3 एफपीओ के लिए पात्रता मानदंड: निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाला एक एफपीओ योजना के तहत इक्विटी ग्रांट के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा-

(i) यह इस दिशानिर्देश के खंड 2 के अनुसार एक कानूनी इकाई होगी।

(ii) इसने एसोसिएशन / उप नियमों के अनुच्छेदों में अपने सदस्यों से इक्विटी उगाही है, जैसा भी मामला हो।

(iii) इसके अलग-अलग शेयरहोल्डर्स की संख्या स्कीम के साथ-साथ पढ़े जाने वाले नियमों के अनुसार है।

(iv) इसके 50% अंशधारक छोटे, सीमांत और भूमिहीन काश्तकार हैं, जिन्हें कृषि जनगणना, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाता है। इसके शेयरधारकों के रूप में महिला किसानों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(v) किसी एक सदस्य द्वारा अधिकतम शेयरधारिता एफपीओ की कुल इक्विटी का 10% से अधिक नहीं होगी।

(vi) कोई किसान विभिन्न उत्पाद कलस्टरों के साथ एक से अधिक एफपीओ में सदस्य हो सकता है परंतु वह अपने शेयर तक इक्विटी ग्रांटको मैच करने के लिए केवल एक बार (किसी एक एफपीओ के लिए जिसमें वह सदस्य है) पात्र होगा।

(vii) निदेशक मंडल (बीओडी) और शासी निकाय (जीबी) में, जैसा भी मामला हो, महिला किसान सदस्य (सदस्यों) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और न्यूनतम एक महिला सदस्य होनी चाहिए।

(viii) इसके पास एक विधिवत गठित प्रबंधन समिति है जो एफपीओ के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार है।

(ix) इसके पास अगले 18 महीनों के लिए एक व्यवसाय योजना और बजट है जो कि एक स्थायी, राजस्व मॉडल पर आधारित है

11.4 इक्विटी ग्रांट को जारी करने की प्रक्रिया

i. पात्र एफपीओ को 15 लाख रूपए प्रति एफपीओ की सीमा के अध्यधीन एफपीओ में हितधारक सदस्यों के साम्या अंशदान की राशि के बराबर अनुदान प्राप्त करने के लिए इक्विटी ग्रांट उपलब्ध कराया जाएगा। एफपीओ के बैंक खाते में अंतरित किए जाने के लिए संस्वीकृत इक्विटी ग्रांट संबंधित कार्यान्वयक एजेंसी को जारी की जाएगी। एफपीओ, इक्विटी ग्रांट की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर, इसके हितधारक सदस्यों को अतिरिक्त शेयर जारी करता है जो इसके द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि के मूल्य के बराबर होगी, बशर्ते कि, पर्युक्त के अनुसार उनके शेयर पर ध्यान दिए बिना हितधारक की अधिकतम अनुदान प्रति श्रेणी निम्नानुसार हो:

ii. प्रत्येक हितधारक- 2000 रूपए तक

(क) एफपीओ के प्रत्येक हितधारक सदस्य को इक्विटी ग्रांट (शेयर इकाई मूल्य को समाप्त करना, एक बिंदु के अध्यधीन की गणना के लिए मानदंड (उचित अधिनियम के लागू होने योग्य प्रावधानों के अनुसार उत्पादन कंपनी/सहकारी समिति द्वारा निर्धारित हितधारकों के रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) निम्नानुसार हैं:

i. शेयर का आबंटन हितधारकों की मौजूदा शेयर होल्डिंग के समान होने/यथानुपात आधार पर होगी जो कि उपर्युक्त उल्लिखित अधिकतम के अध्यधीन है तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक हितधारक न्यूनतम एक इक्विटी शेयर प्राप्त करता है।

ii. यदि कोई एफपीओ को संस्वीकृत किया गया अनुदान इसके सभी हितधारक सदस्यों को न्यूनतम एक शेयर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नही है, अनुदान का आबंटन हितधारकों के मौजूदा भू-जोतों के आधार पर होगा, जो संबंध क्रियाकलापों के मामले में कम से कम भू-जोत/सबसे छोटे उत्पादक के साथ हितधारकों से शुरू होता हो अथवा ढ़ेरों की पारदर्शी निकासी द्वारा जहां ऐसी पहचान संभव नही है।

ख) एफपीओ को अधिकतम 3 हिस्सों (पहले आवेदन के 4 वर्षों की अवधि के भीतर तथा सीबीबीओ की प्रारंभिक सहायता की अवधि के भीतर) में इक्विटी ग्रांट निकालने की अनुमति होगी, जो कि 15 लाख रूपए प्रति एफपीओ की सीमा के अध्यधीन है, बशर्ते

तथा उस सीमा तक जब 15 लाख रूपए की समग्र सीमा के भीतर अतिरिक्त समान अनुदान के लिए पात्रता हेतु अतिरिक्त सदस्य इक्विटी को बढ़ाने में समर्थ हो। दूसरे हिस्से के लिए किए गए अनुरोध को नया आवेदन माना जाएगा तथा पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराया जाएगा।

ग.) यदि वे शेयरधारक कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा संस्वीकृत इक्विटी ग्रांटकी तुलना में एफपीओ द्वारा जारी किया गए अतिरिक्त शेयर प्राप्त करते हैं, शेयर प्राप्त करने के बाद कभी भी एफपीओ को छोड़ते है, इक्विटी ग्रांटके बदले में उनके द्वारा प्राप्त अतिरिक्त शेयर तथा उनके नाम पर शेयर को अन्य हितधारक अथवा नए हितधारक को ढ़ेर की खुली एवं पारदर्शी निकासी के माध्यम से एफपीओ से उसके निकलने के 90 दिनों के भीतर अंतरित कर दिया जाएगा ऐसे मामले में मूल हितधारक अन्य/नए सदस्यों को अंतरित किए गए अतिरिक्त शेयर के मूल्य को प्राप्त नही कर सकते हैं।

घ) डीएसीएंडएफडब्ल्यू कार्यान्वयक एजेंसियों से पूछताछ कर सकते हैं अथवा कार्यान्वयक एजेंसियों को एफपीओ से इक्विटी ग्रांट की राशि को प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो निम्न मामले के समानुरूप के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी होंगी: क) इसकी प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर एफपीओ द्वारा इक्विटी ग्रांट की तुलना में सदस्यों को अतिरिक्त शेयर जारी करने में विफलता, तथा ख) इक्विटी ग्रांट के प्राप्त होने के 5 वर्षों के भीतर एफपीओ का बंद होना/विघटन होना। (ग) इक्विटी ग्रांट का दुरूपयोग/गबन के उदाहरण (जैसे एफपीओ के एसोशिएसन/व्यवसाय के एसोसिएशन/आर्टिकल के ज्ञापन में उल्लेखन के अलावा क्रियाकलाप के लिए निधियों का उपयोग।

11.5 इक्विटी ग्रांट के लिए आवेदन:

पात्र एफपीओ निर्धारित आवेदन फार्म **(अनुबंध-I)** में ही इक्विटी ग्रांट के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन के साथ-साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक अन्य अनिवार्य दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:

i. अंशधारकों की सूची तथा प्रस्तुतीकरण से पहले चार्टर्ड अकाउंटेट (सीए)/सहकारी लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणीकृत प्रत्येक सदस्य द्वारा शेयर पूंजी अंशदान **(अनुबंध-I का संलग्नक-I)**।

ii. सदस्यों के लिए सहायता अनुदान की मांग करने हेतु निदेशक मंडल/शासी निकाय का प्रस्ताव **(अनुबंध- I का संलग्नक-II)**।

iii. हितधारकों की सहमति, हितधारकों का दर्शाया गया नाम, लिंग, लिए गए शेयरों की संख्या, शेयरों की फेस वैल्यू, भू-जोत, एफपीओ द्वारा उन्हें जारी करने तथा नियमानुसार शेयरों के एक्जिट-ट्रांसफर होने पर समान मूल्य के अतिरिक्त शेयर के विचार की तुलना में एफपीओ के बैंक खातों को उनकी तरफ से एफपीओ को संस्वीकृत सहायता अनुदान को सीधे तौर पर कार्यान्वयक एजेंसियों के लिए सहमति को दर्शाना **(अनुबंध-I का संलग्नक-III)**।

iv. यदि एफपीओ एक या एक से अधिक वित्तीय वर्ष तक प्रचालन में है तो प्रस्तुतीकरण के पहले चार्टर्ड अकाउंटेट (सीए)/सहकारी लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणीकृत करने के पश्चात एफपीओ की मौजूदगी के नयूनतम एक वर्ष/सभी वर्षों के लिए एफपीओ के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण की प्रति प्रदान करन होगा।

v. यदि एफपीओ एक वित्तीय वर्ष से कम प्रचालन में है तो ''बैंक'' के शाखा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित पिछले 6 माह के बैंक खाता विवरण की प्रति आवश्यक है।

vi. एफपीओ की व्यवसाय योजना तथा अगले 18 माह के लिए बजट।

vii. नाम, फोटोग्राफ, तथा निष्पादन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों/निदेशकों का पहचान पत्र (राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट में से कोई भी एक) तथा स्कीम के तहत हस्ताक्षरित किए गए सभी दस्तावेज।

आवेदन फार्म तथा संलग्न सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर एफपीओ के कम से कम दो बोर्ड सदस्य/प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

टिप्पणी: संबंधित कार्यान्वयक एजेंसियों को इसे प्रस्तुत करते समय संबंधित सीबीबीओ द्वारा सभी दस्तावेज/सूचना को सत्यापित किया जाना है।

11.6 संस्थागत उचित परिश्रम:

(i)कार्यान्वयक एजेंसी इक्विटी ग्रांट के लिए इसके आवेदन पर निर्णय लेने से पहले एफपीओ की विश्वसनीयता, स्थिरता, व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए सम्यक उद्यम प्रक्रिया शुरू करेंगी। उचित परिश्रम निम्नलिखित आयामों को कवर करेगा: क) शासन; ख) व्यवसाय एवं व्यवसाय योजना व्यवहार्यता; ग) प्रबंधन क्षमता; घ) वित्तीय व्यवस्थाएं। इस संबंध में सभी दस्तावेजों को उनके द्वारा पूर्ण से सत्यापित रूप में संबंधित सीबीबीओ के माध्यम से कार्यान्वयक एजेंसियों को भेजा जाएगा।

(ii)प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा डेस्क मूल्यांकन के माध्यम से उचित सम्यक उद्यम का आयोजन किया जाएगा। कार्यान्वयक एजेंसियां सम्यक उद्यम को लागू करने की प्रक्रिया में एनपीएमए की सहायता की मांग कर सकते हैं औए यदि आवश्यक हो तो दावे का सत्यापन कर सकते है।

11.7 मंजूरी

आवेदन एफपीओ द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सम्यक उद्यम के आवेदन के बाद, प्रस्ताव को इक्विटी अनुदान की मंजूरी के लिए अनुमोदन दी जा सकती है। कार्यान्वयन एजेंसी अपनी वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अनुसार डीएसीएंडएफडब्ल्यूएस के अनुसार इस योजना के तहत निधि की मांग करेगी। खंड 7.2 में वर्णित अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यान्वित एजेंसी को यह जारी किया जा सकता है।

11.8 संवितरण

(i) मंजूरी की शर्तों को स्वीकार करने के बाद, एफपीओ कार्यान्वयक एजेंसियों के साथ समझौता करेंगी।

(ii) कार्यान्वयक एजेंसियां एफपीओ के खाते में मंजूरीकृत निधियां अंतरित करेंगी।

11.9 अनुपालन एवं सत्यापन

एफपीओ कार्यान्वयक एजेंसियों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी:

i. स्कीम के तहत इसके अंशधारक सदस्यों को इसके द्वारा निधियों के प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर चार्टर्ड अकाउंटेट (सीए) द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणीकृत संबंधित फोलियो नंबर के साथ-साथ इसके द्वारा अतिरिक्त शेयरों की सूची जारी किए गए।

ii. यदि एफपीओ किसी भी तरह से अपनी प्रतिबद्धता पर खरा नही उतरता है, चाहे वह शेयर जारी करने के मामले हो अथवा उल्लिखित समय-सीमा के कार्यान्वयक एजेंसियों को अधिसूचित करने का मामला हो, कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा एफपीओ संस्वीकृत तथा निर्मुक्त की गई इक्विटी ग्रांट को रद्द कर दिया जाएगा तथा कार्यान्वयक एजेंसी एवं एफपीओ के बीच समझौता में विस्तृत विवरण के अनुसार कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा इसे पुन: प्राप्त किया जा सकेगा।

11.10 गैर-अनुपालन का संसाधन

इसमें निहित अथवा नियमावली में निहित नियमन एवं शर्तों अथवा समय-समय पर कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश अथवा कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा एफपीओ संस्वीकृत तथा जारी की गई इक्विटी ग्रांट का दुरूपयोग/गबन के उदाहरण का उल्लंघन करने की स्थिति में कार्यान्वयन एजेंसी के पास मांग करने तथा कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा संस्वीकृत की गई सहायता अनुदान की समग्र राशि का तुरंत पुनर्भुगतान करने का अधिकार होगा।

12.0 ऋण गारंटी सुविधा

12.1 प्रमुख बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए एफपीओ की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समर्पित कोष सृजित करने की आवश्यकता है। समर्पित ऋण गारंटी कोष (सीजीएफ) एफपीओ को ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों के जोखिम को कम करके एफपीओ संस्थागत ऋण के त्वरित प्रवाह के लिए उचित ऋण गारंटी कवर प्रदान करेंगी ताकि लाभ बढ़ाने के लिए बेहतर व्यवसाय योजनाओं को निष्पादित करने के लिए उनकी वित्तीय समर्थतता को उन्नत किया जा सके।

12.2 सीजीएफ के उद्देश्य:

सीजीएफ का प्राथमिक उद्देश्य पात्र ऋणदाता संस्थानों (ईएलआई) को ऋण गारंटी कवर प्रदान करना है ताकि ऋणों के संबंध में उनके ऋण के जोखिमों को कम करके एफपीओ को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जा सके।

12.3 सीजीएफ का कॉर्पस:

सीजीएफ के रूप में 1500 करोड़ रूपए तक का कोष सृजित किया जाएगा। सीजीएफ के 1500 करोड़ रूपए तक में से नाबार्ड द्वारा 1000 करोड़ रूपए सृजित, रख-रखाव तथा प्रबंधन किया जाएगा तथा शेष 500 करोड़ रूपए का प्रबंधन एनसीडीसी द्वारा किया जाएगा। डीएसीएंडएफडब्ल्यू निधि के प्रबंधन के लिए नाबार्ड और एनसीडीसी दोनों को कोई अन्य प्रबंधन लागत भुगतान किए बिना संबंधित सीजीएफ को प्रत्येक साझा सामान राशि का योगदान नाबार्ड और एनसीडी द्वारा सृजित को, अनुरक्षित और प्रबंधित सीजीएफ को मैचिंग साझा आधार पर वार्षिक रूप से करेगा।

12.4 परिभाषाएं:

i. **ऋण सुविधा** से तात्पर्य बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा अथवा तृतीयक पक्ष गारंटी केन्द्र पात्र उदारगृहीता को पात्र ऋणदाता संस्थान (ईएलआई) द्वारा विस्तारित किसी प्रकार की ऋण सुविधा (निधि आधारित तथा/अथवा गैर-निधि आधारित)।

ii. **ऋण गारंटी कोष:** का अर्थ उस ऋण गारंटी कोष से है जिसे पात्र ऋणदाता संस्थानों को पात्र एफपीओ को संपार्श्विकता मुक्त ऋण देने के लिए गारंटी देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नाबार्ड और एनसीडीसी के साथ मिलकर तैयार किया गया है;

iii. **पात्र ऋणदाता संस्थान (ईएलआई):** एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का अर्थ है उस बैंक से है जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनसीडीसी, नाबार्ड और इसकी सहायक कंपनियों, एनईडीएफआई, या कोई अन्य संस्थान,जिसे नाबार्ड और/या एनसीडीसी द्वारा, जैसा कि मामला हो, समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। नाबार्ड और एनसीडीसी डीएसीएंडएफडब्ल्यू/एन-पीएमएफएससी के अनुमोदन के साथ

यथावांछित वित्तपोषण भी कर सकते हैं। एनबीएफसी और आवश्यक निवल मूल्य और ट्रैक रिकॉर्ड वाले इस तरह के अन्य वित्तीय संस्थान भी एफपीओ को पूंजी और उधार दर की लागत के बीच एक मध्यम प्रसार के साथ ऋण देने के लिए पात्र ऋणदाता संस्थानों (ईएलआई) के रूप में कार्य कर सकते हैं। यद्यपि, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल सेक्टर रेटिंग एजेंसी एनबीएफसी को ईएलआई माने जाने के लिए **एएए की** रेटिंग दे सकती थी।

iv. **गारंटी कवर** का अर्थ है प्रति पात्र एफपीओ उधारकर्ता के लिए उपलब्ध अधिकतम कवर।

v. **गारंटी शुल्क का अर्थ** है ईएलआई द्वारा अनुमोदित, ईएलआई द्वारा नाबार्ड या एनसीडीसी को देय, जैसा भी मामला हो, पात्र ऋण सुविधा की एक निर्धारित दर पर एकबारगी शुल्क।

vi. **गारंटी कवर के कार्यकाल** का अर्थ है टर्म लोन/समग्र ऋण का सहमत कार्यकाल यानी गारंटी स्टार्ट-अप से गारंटी कवर की अधिकतम अवधि जो टर्म क्रेडिट के सहमत कार्यकाल के के दौरान जारी रहेगा, और जहां अकेले कार्यशील पूंजी की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और/या 5 वर्ष की अवधि या 5 वर्ष की निर्धारित अवधि और ऋण/ कार्यशील पूंजी ऋण या अन्य सुविधाओं की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो या नाबार्ड और एनसीडीसी द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अवधि, जैसा भी मामला हो के साथ निरंतर कार्यशील पूंजी व्यवस्था रूप में हो सकती है ।

12.5 एफपीओ के लिए पात्रता मानदंड:

ईएलआई एफपीओ/एफपीओ के परिसंघ के लिए ऋण गारंटी का लाभ उठा सकता है जो योजना के तहत कवर किए जाते हैं।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईएलआई ने गारंटी देने के लिए आवेदन की तारीख के छह महीने के भीतर/मंजूरी दे दी है या लिखित में सहमति दे दी है/टर्म लोन / कार्यशील पूंजी / कम्पोजिट क्रेडिट सुविधा को किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना लिखित रूप में इच्छा व्यक्त की है जिसमें निदेशक मंडल/ गर्वनिंग बॉडी के सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी शामिल हैं।

12.6 योजना के तहत पात्र ऋण सुविधाएं:

सीजीएफ, नाबार्ड और एनसीडीसी के तहत, जैसा भी मामला हो, कवर किया जाएगा:

i. आवेदन की तारीख से छह महीने के भीतर पहले से ही स्वीकृत/ विस्तारित ऋण सुविधा या एक से अधिक पात्र ऋणदाता संस्थान (ईएलआई) द्वारा किसी भी संपार्श्विक सुरक्षा और / या तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना टर्म लोन और / या कार्यशील पूंजी / समग्र ऋण सुविधाओं के माध्यम से एकल पात्र एफपीओ उधारकर्ता को एकल या संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने के इरादे से गारंटी कवर ।

ii. ईएलआई बिना किसी सीमा के ऋण प्रदान कर सकता है; तथापि, गारंटी कवर इस योजना के तहत निर्दिष्ट अधिकतम गारंटी कवर तक सीमित होगा।

iii. आवश्यक निवल मूल्य, ट्रैक रिकॉर्ड और एएए की रेटिंग वाले गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) और ऐसे अन्य वित्तीय संस्थानों (एफआई) को भी पात्र ऋणदाता संस्थानों (ईएलआई) के रूप में सिफारिश की जा सकती है, ऐसे एनबीएफसी आगे अपनी पूंजी लागत और उधारी दर के बीच सीमित प्रसार वाले एफपीओ को ऋण प्रदान करना चाहिए।

12.7 ऋण गारंटी कोष से ऋण सुविधाओं के लिए अपात्रता:

निम्नलिखित ऋण सुविधाएं इस योजना के तहत गारंटी कवर के लिए पात्र नहीं होंगी:

i. कोई भी ऋण सुविधा जिसे संपार्श्विक सुरक्षा और/या तृतीय पक्ष की गारंटी के सापेक्ष ईएलआई द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ii. ऋण सुविधा जिसके संबंध में जोखिम को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित/प्रशासित/या सरकार द्वारा/या किसी भी सामान्य बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या बीमा, गारंटी या क्षतिपूर्ति का कार्य करने वाले व्यक्तियों के संघ द्वारा भी कवर किया जाता है ।

iii कोई भी ऋण सुविधा, जो किसी भी तरह से, किसी भी कानून के प्रावधानों, या केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी भी निर्देश या निर्देशों, जो कि वर्तमान में लागू, के अनुकूल नहीं है ।

iv किसी भी उधारकर्ता को दी गई कोई भी ऋण सुविधा, जिसने स्वयं इस योजना के तहत या किसी भी समय उपरोक्त खंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित योजनाओं के तहत कवर की गई किसी अन्य ऋण सुविधा का लाभ उठाया है।

v कोई भी ऋण सुविधा जो किसी अन्य ऋणदाता या किसी अन्य डिफ़ॉल्ट से ऋण सुविधा में परिवर्तित हो गई है ईएलआई द्वारा लिए गए चुकौती /एनपीए के लिए अतिदेय है।

vi कोई भी ऋण सुविधा जो चुकौती के लिए अतिदेय है।

vii कोई भी ऋण सुविधा जिसे चुकौती के लिए अतिदेय होने पर पुनर्निर्धारित या पुनर्गठन किया गया है।

12.8 ऋण गारंटी कवर के लिए पात्र परियोजना ऋण राशि और इसकी अवधि :

i. प्रति एफपीओ ऋण गारंटी कवर 2 करोड़ रुपये परियोजना ऋण तक सीमित होगा। ऋण गारंटी कवर 1 करोड़ रुपए तक के परियोजना ऋण के मामले में 85% ऋण योग्य परियोजना ऋण के साथ 85 लाख रुपये तक सीमित होगा। जबकि 1 करोड़ रुपये से अधिक और 2 करोड़ रु तक के परियोजना ऋण के मामले में, ऋण गारंटी कवर 1.50 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ ऋण योग्य परियोजना ऋण का 75% होगा। तथापि 2 करोड़ रुपए के बैंक परियोजन ऋण के अलावा परियोजना ऋण के लिए ऋण गारंटी कवर केवल अधिकतम 2.0 करोड़ रुपए तक सीमित होगा।

ii. ईएलआई 5 वर्ष की अवधि में अधिकतम 2 बार एकल एफपीओ उधारकर्ता के संबंध में स्वीकृत ऋण सुविधा के लिए ऋण गारंटी कवर लेने के लिए पात्र होगा।

iii. डिफ़ॉल्ट के मामले में, दावों का उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अधिकतम कवर के अधीन डिफॉल्ट राशि का 85% या 75% तक ही निपटान किया जाएगा।

iv. अन्य शुल्क जैसे कि दंड ब्याज, प्रतिबद्धता शुल्क, सेवा शुल्क, या कोई अन्य प्रभार/व्यय, या कोई भी लागत जो कि अनुबंधित ब्याज के अलावा ईएलआई द्वारा एफपीआई के खाते में डेबिट की गई है, ऋण गारंटी कवर के लिए पात्र नहीं होगा।.

v कवर केवल तभी दिया जा सकता है जब ईएलआई नाबार्ड या एनसीडीसी, जैसा कि मामला हो, के साथ कोई समझौता करता है और नाबार्ड या एनसीडीसी, जैसा कि मामला है, द्वारा समय-समय पर तय नियमों और शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाएगा या दिया जाएगा।

12.9 गारंटी कवर का लाभ उठाने की प्रक्रिया:

ईएलआई को आगामी तिमाही समाप्त होने से पहले किसी तिमाही के दौरान उनके दवारा अनुमोदित ऋण प्रस्तावों के लिए **अनुबंध-II** पर निर्दिष्ट फॉर्म में गारंटी कवर के लिए नाबार्ड या एनसीडीसी, जैसा भी मामला हो, में आवेदन करना होगा, अप्रैल-जून तिमाही में मंजूर की गई ऋण सुविधा के संबंध में, आगामी तिमाही अर्थात् जुलाई-सितंबर में योजना के तहत पात्रता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- **नाबार्ड या एनसीडीसी, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित कार्य करेंगे -**

I. संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के निबंधन और शर्तों के अनुसार योजना के तहत ईएलआई को गारंटी कवर की मंजूरी देने से पहले प्रस्ताव की जांच करना।

II. इस योजना के उद्देश्यों के लिए, जहां तक आवश्यक हो, ऋणदाता संस्थान या ऋणदाता संस्थान वाले से उधार लेने वाले के बहीखाता और अन्य अभिलेखों (अग्रिमों के संचालन के बारे में सामान्य अनुदेशों को कवर करने वाली कोई भी अनुदेश पुस्तिका या नियमावली या परिपत्र सहित) की प्रतियां मंगवाकर निरीक्षण करें।

III. इस तरह का निरीक्षण नाबार्ड या एनसीडीसी जैसा भी मामला हो, के अधिकारियों या विशेष रूप से निरीक्षण के उद्देश्य के लिए नियुक्त डीएसी और एफडब्ल्यू के किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।

IV. नाबार्ड या एनसीडीसी, जैसा भी मामला हो, की निवेश और दावा निपटान समिति (आईएंडसीएससी) उपरोक्त के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित बैंक को गारंटी कवर को मंजूरी देगा।

V. नाबार्ड या एनसीडीसी जैसा भी मामला हो, द्वारा किए गए करार के प्रारूप के अनुसार बैंक शाखा के स्तर पर, ईएलआई नाबार्ड या एनसीडीसी, जैसा भी मामला हो के साथ एक समझौता करेगा।

12.10 गारंटी शुल्क (जीएफ):

I. एकबारगी गारंटी शुल्क यदि नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामला हो द्वारा लगाया जाता है, उस उपस्कीम के अंतर्गत ईएलआई द्वारा क्रेडिट गारंटी कवर (सीजीसी) के लिए उसका भुगतान किया जाएगा जो ईएलआई द्वारा संस्वीकृत 1.00 करोड़ रुपए तक

परियोजना ऋण सहित क्रेडिट सुविधा के अधिकतम 0.75 प्रतिशत की दर तक तथा 1.00 करोड़ रुपए से अधिक और 2.00 करोड़ रुपए परियोजना लागत तक क्रेडिट सुविधा का 0.85 प्रतिशत की दर तक होगा। ईएलआई सीजीसी के लिए संस्वीकृत पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर नाबार्ड अथवा एनसीडीसी, जैसा भी मामला हो, अग्रिम गारंटी शुल्क का भुगतान करेगा। ऐसा न करने पर गारंटी निरस्त करने योग्य होगा जब तक कि नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामला हो द्वारा विशेष रुप से इसे जारी रखने के लिए अनुमोदन नहीं दिया जाता है।

II. ऋणदाता संस्थाओं द्वारा नाबार्ड अथवा एनसीडीसी, जैसा भी मामला हो, को यदि गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाता है तो वह वापस नहीं (नॉन रिफन्डेबल) होगा केवल उस मामले को छोड़कर जहां गारंटी कवर के लिए गारंटी शुल्क भुगतान को अनुमोदित नहीं किया गया है।

12.11 नाबार्ड अथवा एनसीडीसी, जैसा भी मामला हो, के विचारार्थ प्रस्तावों को सिफारिश के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व स्कीम के अंतर्गत ऋणदाता संस्थाओं का उत्तरदायित्व ईएलआई का निम्नलिखित कार्य होगा:

I. वाणिज्यिक रुप से व्यवहार्य परियोजनाओं का चयन करने के लिए प्रत्येक ऋण प्रस्ताव का मूल्यांकन करना। ईएलआई के मूल्यांकन नोट के साथ स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवर के लिए आवेदन भी शामिल होगा।

II. ईएलआई की आवश्यकताओं तथा नाबार्ड अथवा एनसीडीसी ,जैसा भी मामला हो, के नियम एवं शर्तों के अनुसार ऋण की स्वीकृति हेतु प्रसंस्करण, विधिक कार्य तथा दस्तावेजीकरण करना।

III. इस स्कीम के अंतर्गत किसी ऋण सुविधा के संबंध में नाबार्ड अथवा एनसीडीसी, जैसा भी मामला हो, की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे विवरणों, सूचनाओं, दस्तावेजो, प्राप्तियों, प्रमाण-पत्रों आदि को प्रस्तुत करना।

IV. ऐसे दस्तावेजों, प्राप्तियों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य लिखित दस्तावेजों की सामग्रियां सही हैं, सत्यापित करना बशर्ते कि किसी दावे को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और इससे संबंधित सत्यनिष्ठा के साथ किए गए किसी भी कार्यों के लिए ऋणदाता संस्थाओं अथवा किसी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

V. उधार लेने वालों के खातों की निगरानी करना तथा आवधिक निगरानी के रिकार्ड तथा प्रेक्षणों पर शुरु की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, का रख-रखाव करना।

VI. यह सुनिश्चित करना कि इस संबंध में नाबार्ड अथवा एनसीडीसी ,जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्देशित प्रारुप व विधियों से तथा समय सीमा के भीतर एफपीओ उधार लेने वालों को दी गई ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी शुल्क नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामला हो, के पास सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना है कि उधार लेने वालों के खाते में विसंगति की सूचना नाबार्ड अथवा एनसीडीसी ,जैसा भी मामला हो को देने में अपनी तरफ से देरी नहीं होगी क्योंकि विलम्ब होने के परिणामस्वरुप नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामलो को उच्च गारंटी दावों का भुगतान करना होगा।

VII. ऋणदाता संस्थाओं को नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामला हो द्वारा गारंटी दावों को भुगतान होना किसी भी प्रकार से उधार लेने वालों से समग्र बकाए ऋण राशि की वसूली करने की ऋणदाता संस्था की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। ऋणदाता संस्था उन ऋण सुविधाओं की समग्र राशि उधार लेने वालों से वसूली करने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक सावधानी के साथ सभी उपाय करेंगे जो उधार लेने वालों के पास है और नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामला हो के हित की रक्षा करेंगी क्योंकि यह नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामला हो द्वारा गारंटी न दिए जाने की स्थिति में सामान्य कार्रवाई होगी।

VIII. ऋणदाता संस्था नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामला हो के ऐसे निर्देशों जिसे समय-समय पर गारंटी खातों से रिकवरी करने अथवा गारंटर के रुप में अपने हितों की रक्षा करने के लिए जारी की जाती है का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

IX. विशेष रुप से ऋणदाता संस्था गारंटी समाप्त होने से पूर्व अथवा उसके बाद किसी भी कार्य से स्वंय को दूर रखेगी जिससे नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामला हो को गारंटर के रुप में हित प्रतिकूल रुप से प्रभावित हो सकता है।

X. ऋणदाता संस्था स्कीम के अंतर्गत अग्रिम रुप से नाबार्ड अथवा एनसीडीसी को किसी समझौता अथवा करार से जुड़ने के अपने मन्तव्य को बताने के लिए बाध्य होगी जिससे प्राथमिक सुरक्षा की छूट प्रभावित हो सकती है।

XI. इसके अतिरिक्त ऋणदाता संस्था नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामला हो अथवा अपने नियोक्ता एजेंसी को उधार लेने वालों अथवा अन्यथा के साथ करार में शर्त

के माध्यम से डिफाल्ट उधार लेने वालों की सूची अथवा विवरण नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामला के वेबसाईट अथवा इन समेकित पोर्टल पर अपलोड करने का अधिकार सुरक्षित करेगा।

12.12 **नाबार्ड एवं एनसीडीसी द्वारा निगरानी**

I. इएलआई उधार लेने वाले एफपीओ का नियमित रुप से डेस्किंग और/अथवा फील्ड निगरानी करेगा।

II. नाबार्ड अथवा एनसीडीसी जैसा भी मामला हो को ऐसी निगरानी के किसी रिपोर्ट, जैसा वो उचित समझे, मांगने के लिए अधिकृत होगा।

12.13 **गवर्नेंस**

i. नाबार्ड और एनसीडीसी में निवेश एवं दावा निपटान समिति (आईएंडसीएससी) होगी। नाबार्ड में आईएंडसीएससी के अध्यक्ष इसके उपप्रबंध निदेशक (डिप्टी एमडी) (अथवा डिप्टी एमडी का पद खाली होने पर नाबार्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति) होगा ; जबकि एनसीडीसी में इसके प्रबंध निदेशक (एमडी) अध्यक्ष होंगे। संबंधित समिति में क्रमवार राज्यों, बैकिंग संस्थानों के प्रतिनिधि और डीएसीएण्डएफडब्ल्यू के प्रतिनिधियों के अलावा संगत विषय विशेषज्ञ होंगे। नाबार्ड, एसएफएसी के प्रतिनिधि का भी सह-विकल्प ले सकता है। बैठक आदि संचालित कमेटी समयावधि की प्रक्रिया जैसा आवश्यक हो संबंधित संगठन द्वारा निर्धारित की जाएगी।

- नाबार्ड और एनसीडीसी में आईएण्डसीएससी ऋण गारंटी कवर के लिए ईएलआई से प्राप्त प्रस्तावों की छानबीन करने के लिए उचित परिश्रम करेगा और वित्तीय मंजूरी प्राप्त करेगा। नाबार्ड और एनसीडीसी निर्धारित प्रपत्र पर डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को पूर्व माह के मंजूर ऋण गारंटी कवर की विस्तृत प्रगति के बारे में अगले महीने की 10 तारीख को प्रस्तुत करेगा। एन-पीएमएएफएससी इस संबंध में सभी नीति में अंतिम प्राधिकारी और रणनीतिक निर्णयकर्ता अधिकारी होगी।

ii आईएंडसीएससी के पास वसूली के अच्छे रिकार्ड के साथ एफपीओ के लिए विशेष विचार करने सहित निधियों तथा इसके संचालन, जोखिम विगोपन के लिए मानक तय करने, धनराशियों एवं लाभ- लक्ष्यों की वित्तीय अवसंरचना की रूपरेखा बनाने से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए विशेष अधिकार होगा।

iii आईएंडसीएससी निधि की समग्र वृधि हेतु नीतिगत मुद्दों तथा कार्यनीतियों पर विचार करेगी और नाबार्ड और एनसीडीसी जैसा भी मामला हो के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी। नाबार्ड एवं एनसीडीसी अनुमोदन प्रदान करेगा और एन-पीएमएएफएससी को सूचित करती रहेगी।

iv आईएंडसीएससी नियमित रूप से स्वयं द्वारा लिए गए सभी प्रमुख निर्णयों तथा कार्रवाइयों के बारे में नाबार्ड और एनसीडीसी जैसा भी मामला हो को सूचित करता रहेगा और निधियों तथा स्कीम के संबंध में इसके समग्र नियंत्रण एवं मागदर्शन के तहत कार्य करेगी। बारी-बारी से नाबार्ड और एनसीडीसी इस संबंध में लिए गए ऐसे निर्णयों तथा की गई कार्रवाइयों के बारे में एन-पीएमएएफएससी का समकालिक मूल्यांकन करता रहेगा।

v गारंटी भुगतान (पे आउट) के संबंध में निर्णय लेने की प्राथमिक जिम्मेदारी आईएंडसीएससी की होगी जो तीन माह में कम से कम एक बार अथवा प्राय: यदि आवश्यक हो तो बैठक करेगी।

vi ईएलआई एनपीए की तारीख से एक वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी को लागू कर सकता है यदि नाबार्ड या एनसीडीसी द्वारा कोई शर्त रखी जाती है, जैसा भी मामला हो उसे पूरा करना है ।

12.14 दावा निपटान:

एन-पीएमएएफएससी के परामर्श से समय-समय पर नाबार्ड और एनसीडीसी जैसा भी मामला हो के द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ईएलआई द्वारा इस प्रकार के दावे प्रस्तुत किए जाते हैं।

12.15 संशोधन और छूट:

i. नाबार्ड या एनसीडीसी, जैसा भी मामला हो, के पास डीएसीएंडएफडब्ल्यू के परामर्श से, जो भी आवश्यक हो, किसी भी तरीके से योजना को संशोधित करने, रद्द करने या बदलने का अधिकार है ।

12.16 व्याख्या :

नाबार्ड या एनसीडीसी का निर्णय, जैसा भी मामला हो, स्कीम के प्रावधानों में से किसी की व्याख्या या कनेक्शन के संबंध में दिए गए किसी निर्देश या अनुदेश या स्पष्टीकरण

के संबंध में अंतिम होगा। ऐसा कोई भी निर्णय लेते समय, नाबार्ड या एनसीडीसी जैसा भी मामला हो, डीएसी एंड एफडब्ल्यू के साथ पूर्व परामर्श करेगा।

12.17 विवाद का समाधान:

विवाद, यदि कोई हो, तो समझौते से उत्पन्न होने वाले मामलों को आपसी परामर्श के माध्यम से हल किया जाएगा, जिसके विफल होने पर प्रासंगिक करार के अध्याधीन, मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार हो सकता है और इसकी तारीख के संशोधन में प्रयोग किया जाएगा।

13.0 एफपीओ के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

13.1 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचारी के माध्यम से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के परामर्श से नोडल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चिन्हित किए गए सीईओ/बीओडीएस और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल विकास एफपीओ के विकास और स्वधारणीय स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचारी में अन्य बातों के साथ साथ कृषि मूल्य श्रृंखला के संपूर्ण वर्टिकल एवं होरिजोंटल पहलू, प्रबंधकीय पहलू जिसमें मूल्यसंवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन पर ध्यान देना शामिल है। प्रशिक्षण के विषयगत मामलों में ये विषय कवर होंगे जिनकी रेंज में संगठनात्मक प्रबंधन/व्यवहार, फसल कृषि-व्यवस्था, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन, व्यापार, निर्यात, आपूर्ति श्रृंखला, श्रेणीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेखांकन, लेखा परीक्षा, अनुपालन आवश्यकता, इन्क्यूबेशन, आईसीटी एवं एमआईएस बेहतर प्रणालियों में केस अध्ययन सहित एफपीओ के संवर्धन हेतु संगतपूर्ण हो सकते हैं।

13.2 नाबार्ड द्वारा पदोन्नत बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बीआईआरडी), लखनऊ को नाबार्ड और एसएफएसी और अन्य अनुमत/नामित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संवर्धित एफपीओ के लिए केंद्रीय स्तरीय नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नामित किया गया है, को कंपनी अधिनियम के भाग IX क में शामिल किया गया है या सहकारी

समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। बीआईआरडी अन्य प्रतिष्ठित संगठनों जैसे एनआईआरडी, मैनेज, एनआईएएम, एनआईएफटीईएम, वीएएमएनआईसीओएम और ऐसे अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थानों जैसे आईआरएमएस, आनन्द तथा एएससीआई, हैदराबाद, राज्य और केन्द्र सरकार कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय स्तरीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, केवीके और अन्य राष्ट्रीय स्तरीय प्रबंधन और कौशल विकास संस्थानों आदि के साथ साझेदारी में काम करेगा। नाबार्ड और डीएसीएवंएफडब्ल्यू के परामर्श से बीआईआरडी आगामी वर्ष के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसे एन-पीएमएएफएससी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

13.3 बीआईआरडी के नोडल एजेंसी होने के मामले में प्रशिक्षण खर्च, डीएसीएवंएफडब्ल्यू और नाबार्ड द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। नाबार्ड के माध्यम से बीआईआरडी डीएसीएंडएफडब्ल्यू से खर्च का दावा करेगा और प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नाबार्ड के माध्यम से उपयोग प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा।

13.4 एनसीडीसी द्वारा उन्नत सहकारी अनुसंधान एवं विकास (एलआईएनएसी), गुरुग्राम के लिए लक्ष्मणराव ईमानदार राष्ट्रीय एकेडमी को सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एफपीओ के लिए केंद्रीय स्तरीय पर नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नामित किया गया है और एनसीडीसी द्वारा उन्नत किया गया है। एलआईएनएसी अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों जैसे नियाम, वीएएमएनआईसीओएम, मैनेज, एनआईआरडी, एनसीसीटी, आईआरएमए, एएससीआई, राज्य और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केवीके, बेहद प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर प्रबंधन और कौशल विकास संस्थान/विश्वविद्यालय इत्यादि के साथ साझेदारी में काम करेगा। एलआईएनएसी, एनसीडीसी और डीएसीएंडएफडब्ल्यू के परामर्श से आगामी वर्ष के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसे एन-पीएमएएफएससी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। प्रशिक्षण खर्चों के संबंध में, एलआईएनएसी नोडल एजेंसी होने के मामले में, एनसीडीसी के माध्यम से एलआईएनएसी, डीएसीएंडएफडब्ल्यू से खर्च का दावा करेगा और प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एनसीडीसी के माध्यम से उपयोग प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा।

13.5 डीएसीएंडएफडब्ल्यू उचित समय में केंद्रीय स्तर पर अतिरिक्त नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अन्य प्रशिक्षण संस्थान की पहचान कर सकते हैं और नामित कर सकते हैं, जो अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों के साथ प्रशिक्षण और कौशल विकास में भागीदारी करेंगे।

13.6 केंद्रीय नोडल प्रशिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम वरीयतापूर्वक उन्ही राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाए, जहां पर एफपीओ प्रशिक्षुओं का भाग लेना प्रस्तावित है जिससे उन पर परिवहन लागत का बोझ कम पड़े ।प्रशिक्षण अनुसूची तैयार करते समय, नोडल प्रशिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि बीओडीएस, सीईओ/ प्रबंधक आदि को एक वर्ष में दो बार प्रशिक्षित किया जाए। नोडल प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षुओं के लिए बोर्डिंग और ठहरने की व्यवस्था करनी होगी और स्लीपर क्लास ट्रेन टिकट और/या साधारण बस किराया की सीमा तक यात्रा के टिकटों की प्रतिपूर्ति भी करनी होगी। नोडल प्रशिक्षण संस्थान ऐसी प्रणाली भी विकसित करेंगे जो प्रशिक्षुओं के कार्य निष्पादन को मॉनीटर करेगें और पता लगाएंगे कि उनके एफपीओ संगठन को प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण की प्रभावकारिता सुनिश्चित करेंगे। नोडल संस्थान डीएसीएंडएफडब्ल्यू में गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रबंधन सलाहकार और कोष मंजूरकर्ता समिति (एन-पीएमएएफएससी) को प्रदान किए गए विभिन्न प्रशिक्षण का वार्षिक सार और उसकी प्रभावकारिता को भी प्रदान करेंगे।

13.7 नोडल प्रशिक्षण संस्थान संगत विषयों में विभिन्न वीडियो आधारित प्रदर्शनकारी/अंतरसक्रिय ई-लर्निंग मॉडयूल भी विकसित कर सकते हैं। और नए तथा मौजूदा एफपीओ को विस्तृत रूप से ज्ञान प्रसार करने के लिए स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध करा सकते हैं।

13.8 नोडल प्रशिक्षण संस्थान नए और मौजूदा एफपीओ के सदस्यो के लिए एफपीओ प्रबंधन में सुदूर शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं, जिससे कि उस उद्योग के लिए भविष्य में प्रशिक्षित और पेशेवर एफपीओ प्रबंधकों/लेखाकारों का एक काडर बनाया जा सके।

13.9 विशिष्ट संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा चार वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 3.0 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है और नाबार्ड, बीआईआरडी (एन-पीएमएएफएससी के परामर्श से) द्वारा अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के

संस्थानों के साथ साझेदारी करने के लिए क्षमता निर्माण के लिए मिलान के आधार पर योगदान करेगा।

14.0 कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र

एक योजना की सफलता के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और बेहतर निगरानी तंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एफपीओ के प्रभावी कार्यान्वयन और गठन की निगरानी एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर बेहतर रूप में गठित संस्थागत त्रिस्तरीय संरचना है।

14.1 राष्ट्रीय स्तर

14.1.1 कार्यान्वयन एजेंसियों के सामंजस्यपूर्ण समन्वय, गतिविधियों और योजना के बेहतर परिणाम के लिए नीति दिशानिर्देशों को तय करने के लिए डीएसीएंडएफडब्ल्यू में एक राष्ट्रीय स्तरीय परियोजना प्रबंधन सलाहकार और निधि संस्वीकृत समिति (एन-पीएमएएफएससी) गठित की गयी है।

समिति की संरचना इस प्रकार होगी -

i. सचिव, डीएसीएंडएफडब्ल्यू -- अध्यक्ष
ii. अपर सचिव (विपणन), डीएसीएंडएफडब्ल्यू --- सदस्य
iii. एएसएंडएफए, डीएसीएंडएफडब्ल्यू -- सदस्य
iv. जेएस (एमआईडीएच, आरकेवीवाई, को-ऑपरेशन) डीएसीएंडएफडब्ल्यू ------------- सदस्य
v. जेएस (एमओएफपीआई) जैसा कि इसके सचिव द्वारा नामित --------------------- सदस्य
vi. जेएस (डीओएएचडी), जैसा कि इसके सचिव द्वारा नामित ------------------------ सदस्य
vii. जेएस (मात्स्यिकी विभाग), जैसा कि इसके सचिव द्वारा नामित ----------------- सदस्य
viii. जेएस (एमओआरडी), जैसा कि इसके सचिव द्वारा नामित ------------------------ सदस्य
ix. जेएस (डीओएनईआर), जैसा कि इसके सचिव द्वारा नामित ----------------------- सदस्य
x. जेएस (जनजातीय मामले) सचिव द्वारा नामित ----------------------------------- सदस्य
xi. प्रबंध निदेशक (एसएफएसी) --- सदस्य
xii. प्रबंध निदेशक (एनसीडीसी) --- सदस्य

xiii. नाबार्ड का प्रतिनिधि, सीजीएम के पद से नीचे नहीं -------------------------------- सदस्य

xiv. जेएस (मार्केटिंग), डीएसी एंड एफडब्ल्यू -------------------------------------- सदस्य सचिव

नोट : (i) अध्यक्ष समिति के कामकाज की सहायता के लिए किसी अन्य मंत्रालय/विभाग, राज्य या विशेषज्ञ से किसी भी अतिरिक्त सदस्य का चयन कर सकते हैं। राज्यों से सह-सदस्यों के मामले में यह रोटेशन के आधार पर होगा। दो मुख्य किसान सदस्यों अथवा एफपीओ के प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।

(ii) डीएसीएंडएफडब्ल्यू का एक संलग्न कार्यालय, विपणन और निरीक्षण निदेशालय प्रस्तावों के समन्वय, संवीक्षा एवं मंजूरी में एन-पीएमएएसएफसी को तकनीकी इनपुट सहित आवश्यक सचिवालयी सेवाएँ और सहायता प्रदान करेगा और एनपीएमए के साथ समन्वय स्थापित करेगा जो कार्यान्वित एजेंसियों के बीच नीति बनाने, समन्वय पर इनपुट के साथ एन-पीएमएएसएएफसी को सहायता करेगा।

14.1.2 एन-पीएमएएसएफसी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

i. सुचारू कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों, राज्य स्तरीय परामर्शी समिति तथा जिला स्तरीय निगरानी समिति (डी-एमसी) के साथ समन्वय। यह कलस्टर पहचान पर विचारार्थ अन्य संगत मंत्रालयों और संगठनों से प्राप्त फीडबैक पर भी विचार करेगा।

ii. यह कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों की बैठकों को आयोजित करके या अन्य माध्यमों से प्रगति की निगरानी करेगा।

iii. यह एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए उत्पादन समूहों/जिलों/राज्यों को कार्यान्वयन एजेंसियों को आवंटित करेगा।

iv. यह स्कीम के तहत कार्य योजना कार्यान्वयक एजेंसियों की जांच करेगी, योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के संबंध में देय के रूप में पूर्व में किए गए उपयोग के आधार पर कार्यान्वयक एजेंसियों को निधि जारी करने की सिफारिश पर विचार करेगा।

v. यह स्कीम में संशोधन के लिए डीएसीएंडएफडब्ल्यू को नीतिगत इनपुट प्रदान करेगा ताकि एफपीओ के गठन और संवर्धन में उन्हें आर्थिक रूप से सतत बनाया जा सके।

vi. यह कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता और सलाह प्रदान करेगा जैसा कि योजना के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हो।

vii. विभिन्न कार्यान्वयक एजेंसियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अन्य मंत्रालय, राज्य तथा अनुभवों/आवश्यकता आधारित संस्थाएं, एन-पीएमएएसएएफसी प्रति एफपीओ न्यूनतम सदस्यता मानदंड की जांच करा सकती है एवं डीएसीएंडएफडब्ल्यू को संशोधन की सिफारिश कर सकती हैं।

viii. यह एनपीएमए से समय-समय पर यथापेक्षित विस्तृत इनपुट और विश्लेषण मांग सकती है तथा सत्यापन आदि में डीएमआई की सहायता भी ले सकती है।

14.2 राज्य स्तर

14.2.1 किसानों को एकत्र करने, उत्पादन एवं उत्पादन पश्चात संबंधी विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने एवं एफपीओ द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं सहित विकास और कार्यों की निकट एवं आवधिक समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार एवं इसके तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिकाओं और रणनीतिक भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए एसएलसीसी नामक एक राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है। परामर्शदात्री समिति की संरचना निम्नानुसार है-

i. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, प्रभारी कृषि/कृषि विपणन------------अध्यक्ष

ii. संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के सचिव ---------------------------- सदस्य

(बागवानी, पशुपालन और मात्स्यिकी, सहयोग, विपणन, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज)

(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जहां एसीएस/पीएस और सचिव का पद नहीं है, कृषि प्रभारी अध्यक्ष हैं, सदस्य संबद्ध विभागों के निदेशक हो सकते हैं)

iii. एसएफएसी के प्रतिनिधि --- सदस्य

iv. एनसीडीसी के प्रतिनिधि --- सदस्य

v. नाबार्ड के प्रतिनिधि -- सदस्य सचिव*

vi. संयोजक, एसएलबीसी -- सदस्य

vii. कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों के दो विशेषज्ञ ----------------------सदस्य

नोट : (i) अध्यक्ष आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सदस्यों को चुन सकते हैं और संबंधित राज्य /केंद्रशासित प्रदेश के डीएमआई के प्रभारी को बैठक में विशेष आमंत्रित

सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। दो मुख्य किसान सदस्यों अथवा एफपीओ के प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।

* (ii) नाबार्ड के प्रतिनिधि एसएलसीसी की बैठकों को बुलाने और समन्वय करने के लिए सदस्य सचिव होंगे, हालांकि, राज्य में जहां एनसीडीसी और राज्य स्तर के एसएफएसी की उपस्थिति है और वे एफपीओ के गठन और संवर्धन में प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके प्रतिनिधि नाबार्ड के स्थान पर सदस्य सचिव हो सकते हैं। किसी भी विवाद के मामले में, इस संबंध में एन-पीएमएएफएससी का निर्णय अंतिम होगा।

(iii) राज्य सरकारें/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति के गठन के लिए आदेश जारी करेंगे।

14.2.2 एसएलसीसी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

i. यह नियमित बैठकें आयोजित कर एफपीओ के विकास कार्यों की प्रगति तथा एफपीओं के कार्यों की निगरानी व समीक्षा नियमित रूप से करेगी।
ii. यह समन्वित प्रयास के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एफपीओ तैयार करने व इन्हें बढ़ावा देने में शामिल कार्यान्वयक एजेंसियों (एसएफएसी, नाबार्ड तथा एनसीडीसी), संस्थानों और कृषि एवं ग्रामीण विकास में शामिल राज्य सरकार के मशीनरी सहित सभी हितधारकों के लिए कार्यनीति तैयार करेगी।
iii. यह स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाले बाधाओं की पहचान करेगी तथा उन्हें डीएसीएंडएफडब्ल्यू और एन-पीएमएएफएससी को उपयुक्त नीतिगत निर्णय लेने के लिए प्रेषित करेगी, यदि अपेक्षित हो।
iv. यह संबंधित राज्य सरकार के विभागों को एन-पीएमएएफएससी के सिफारिशों के लिए उत्पाद क्लस्टरों की पहचान करने में सहायता करने तथा एफपीओ तैयार करने के लिए किसानों को एकत्रीकरण में सहायता करने के लिए निर्देश देगी।
v. यह प्रक्रिया अवधि के दौरान मौजूदा राज्य विस्तार मशीनरी के माध्यम से संचालन हेतु प्रभावी विस्तार तंत्र तैयार करेगी।

vi. सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि समिति मंडियों में आदानों, दुकानों/स्थानों के लिए लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने में एफपीओ को सहायता तथा साथ ही उत्पादन व उत्पादन के उपरांत कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न अवसंरचनाओं के विकास हेतु सहायता का लाभ लेने के लिए संबंधित राज्य सरकार के विभागों के साथ सहयोग करेगी। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि यथासंभव एफपीओ सरकार के किसान केन्द्रीत स्कीमों से जुड़े/शामिल हो।

vii. यह सामान्य सुविधा केन्द्र तथा कस्टम हायरिंग केन्द्र के विकास हेतु उपयुक्त स्थल पर भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी। यह ई-नाम अथवा अन्य किसी ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म के साथ सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) को जोड़ने के लिए भी कार्यनीति तैयार करेगी तथा इसे प्रमुखता देगी।

14.3 जिला स्तर

14.3.1 जिलों/कलस्टर स्तर पर स्कीम की निगरानी तथा हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय यथा परिकल्पित स्कीम की वास्तविक सफलता तथा किसान सदस्यों के हितों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, कलस्टर विकास तथा एफपीओ के समक्ष आने वाली चुनौतियों सहित जिले में स्कीम के कार्यान्वयन हेतु समग्र समन्वय के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति (डी-एमसी) गठित की गई है।

जिला स्तरीय निगरानी समिति का संघटक निम्नानुसार है:

(i) जिला कलक्टर - अध्यक्ष

(ii) सीईओ, जिला परिषद - सदस्य*

(iii) संबंधित (लाइन) विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी (कृषि/बागवानी/पशुपालन/मात्स्यिकी/विपणन/सहकारिता) - सदस्य

(iv) डीडीएम (नाबार्ड) - सदस्य सचिव**

(v) अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) - सदस्य

(vi) केवीके, आत्मा, स्थानीय उत्पादक संगठनों (3 संख्या) के विशेषज्ञ - सदस्य

(vii) एनसीडीसी / एसएफएसी के प्रतिनिधि, यदि उपलब्ध हो - सदस्य

नोट : (i) अध्यक्ष आवश्यकतानुसार सीबीबीओ/पीएसी के प्रतिनिधियों सहित अतिरिक्त सदस्य चुन सकते है।

*(ii) सीईओ जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे, और जहां विकास/कृषि संबंधित कार्य जिला परिषद के अंतर्गत है वहां राज्य के जिला परिषद अध्यक्षता करेंगे तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्णय लेना है।

(iii) जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति (दिशा) द्वारा अपनी आवधिक समीक्षा में एफपीओ को तैयार करने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी।

(iv) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक जिला स्तरीय निगरानी समिति तैयार करने के लिए जिलों को परामर्शिकाएं जारी करेंगे।

14.3.2 डी-एमसी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

i. यह नियमित बैठकें आयोजित कर एफपीओ के विकास कार्य की प्रगति तथा एफपीओ के कार्य की गहन रूप से निगरानी व समीक्षा करेगी।
ii. यह एन-पीएमएएसएफसी को जिला (जहां एफपीओ को निर्मित किया गया है तथा बढ़ावा दिया गया है) में सक्षम कलस्टरों का सुझाव देगी तथा कलस्टरों तथा कार्यकलापों की पहचान करने और साथ ही किसानों को एकजुट करने में कार्यान्वयक ऐजेंसियों, सीबीबीओ तथा अन्य हितधारकों को सहायता करेगी।
iii. यह जिला स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से एफपीओ की वित्तीय बाधाओं का समाधान करेगी तथा एन-पीएमएएसएफसी को फीडबैक प्रदान करेगी।
iv. यह जमीनी स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान करेगी तथा उन्हें राज्य स्तरीय परामर्श समिति को डीएसीएंडएफडब्ल्यू तथा एन-पीएमएएसएफसी के साथ अतिरिक्त चर्चा के लिए उपयुक्त नीतिगत निर्णय हेतु प्रेषित करेगी।
v. समिति द्वारा स्कीम तथा किसानों के हित में यथा निर्णित अन्य कोई विषय।

14.4 इस स्कीम की सफलता के लिए गहन व प्रभावी निगरानी करना प्रमुख ट्रिगर समझा गया है। इसलिए स्कीम की निगरानी के लिए कथित त्रिस्तरीय संरचनात्मक तंत्र के अलावा डीएसीएंडएफडब्ल्यू के साथ-साथ कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा भी सदैव इन-हाऊस निगरानी की जाएगी। डीएसीएंडएफडब्ल्यू विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) की सेवाओं का भी लाभ ले सकती है जिसके देश में क्षेत्रीय कार्यालय एवं उप कार्यालयों है। प्रभावी निगरानी हेतु डीएसीएंडएफडब्ल्यू परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता है तथा साथ ही स्कीम के बजट से स्वत: ही उसकी लागत का वहन किया जाएगा।

15.0 योजना का मूल्यांकन

15.1 स्कीम के परिकल्पित उद्देश्यों से संबंधित स्कीम की उपलब्धियों का मूल्यांकन स्कीम के वास्तविक परिणामों में करने के लिए, जो की मध्य अवधि (चतुर्थ वर्ष) एवं समापन अवधि में की जाएगी अर्थात (i) तैयार किए गए व पंजीकृत एफपीओ की संख्या; (ii) श्रेणीवार एकत्रित किसानों की संख्या; (iii) प्रदत्त इक्विटी अनुदान की मात्रा तथा कवर किए गए एफपीओ की संख्या; (iv) कार्यशील पूंजी के लिए ली गई ऋण राशि सहित ऋण लिंकेज के लिए प्रदत्त ऋण गारंटी परिमाण; (v) क्षमता निर्माण के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या तथा प्रशिक्षित लोगों की संख्या (vi) एफपीओ का व्यापार कारोबार

15.2 डीएसीएंडएफडब्ल्यू स्कीम के अध्ययन के साथ-साथ मध्यावधि व समापन अवधि मूल्यांकन हेतु पारदर्शी ढंग से तृतीय दल परामर्शदाता/एजेंसी की नियुक्ति करेगा। यदि यह व्यवहार्य तथा उपयुक्त हो तो डीएसीएंडएफडब्ल्यू स्कीम के मध्यावधि तथा समापन अवधि मूल्यांकन के कार्य करने के लिए किसी कार्यान्वयक एजेंसी को कह सकता है और मूल्यांकन रिपोर्ट डीएसीएंडएफडब्ल्यू एवं अन्य कार्यान्वयक एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों तथा निष्कर्षों के आधार पर डीएसीएंडएफडब्ल्यू संचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन कर सकता है। यदि स्कीम के हित में आवश्यक हो तो डीएसीएंडएफडब्ल्यू किसी भी समय स्कीम में परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्कीम में उपयुक्त संशोधन कर सकता है। मूल्यांकन लागत का वहन स्कीम के बजट से किया जाएगा।

16.0 समेकित पोर्टल

16.1 डीएसीएंडएफडब्ल्यू के परामर्श से एनआईसी के माध्यम से एनपीएमए "समेकित पोर्टल" के रूप में परिणत हो जाएगा तथा यह राष्ट्रीय स्तर का डेटा कोष (रिपोजिट्री) होगा। यह पोर्टल एफपीओ के लिए ई-राष्ट्रीय प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल के मुख्य रूप से दो घटक होंगे, नामत: (i) विभिन्न हितधारकों के माध्यम से बिजनेस लेन-देन (ट्रांजेक्सन) के लिए डिजीटल प्लेटफार्म के रूप में कार्य करने वाले लम्बवत व क्षैतिज ई-मार्केट स्थल; तथा (ii) हितधारकों की डेटा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रबंधन अवसंरचना तंत्र(एमआईएस)। पोर्टल में एफपीओ स्तर तक के सभी प्रकार के आंकड़ों को पता लगाने की सुविधा होगी। एकीकृत पोर्टल को आउटसोर्सिंग से या एसएफएसी द्वारा एनआईसी के माध्यम से विकसित किया जा सकता है।

16.2 समेकित पोर्टल के कार्य

i. साफ्टवेयर लम्बवत व क्षैतिज ई-मंडी स्थल के लिए एफपीओ उत्पादों की बिक्री हेतु विवरण सहित उनकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी देगा।
ii. यह मूल्य सहित गुणवत्तापूर्ण आदानों की उपलब्धता और दर सहित कस्टम हायरिंग सुविधा की भी जानकारी देगा।
iii. यह एफपीओ के गठन, उसके पंजीकरण, स्थान, प्रमुख व्यापार कार्यक्रम, लाभदायक स्थिति तथा एफपीओ-वार सभी अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देगा।
iv. इसमें एफपीओ के गठन तथा प्रोत्साहन के किसी चरण में आने वाली चुनौतियों को प्रदर्शित करने और संबंधित एजेंसियों द्वारा उन समस्याओं का समाधान करने के लिए विंडो होगा।
v. एफपीओ से संबंधित कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा विकसित सभी साफ्टवेयर इस समेकित पोर्टल के साथ अंतर-संचालित होगा।

17.0 विविध

(i) उन कॉर्पोरेट निकायों (एग्री-वैल्यू चेन / इंडस्ट्री) को जो बिना सीबीबीओ के माध्यम से क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के एफपीओ बनाने और बढ़ावा दे रहे है, को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है। संबंधित

उद्योगो /मूल्य श्रृंखला प्रसंस्करण एवं निर्यात उद्योगों जो कि सीबीबीओ के माध्यम बिना कलस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से एफपीओ को बढ़ावा दे रहे है / पेशेवर एजेंसिया जो कि सीबीबीओ द्वारा संलग्न है उनको एफपीओ की प्रबंधन सहायता लागत की प्रतिपूर्ती के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए , ऐसे एफपीओ की उपज के कम से कम 60 प्रतिशत के मामले में इन्हें सदस्यों की आय में सुधार के साथ साथ देशभर में प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन को विकसित करने के लिए सतत आधार पर उपयुक्त प्रसंस्करण एवं सुनिश्चित विपणन लिंकेज सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, ऐसे एफपीओ भी सीजीएफ के तहत क्रेडिट गारंटी कवर का लाभ उठा सकते हैं जो इस योजना के तहत पात्रता रखते हैं और सीजीएफ के रखरखाव और प्रबंधन एजेंसी के मानदंडों और दिशानिर्देशों का भी पालन करते हैं। ऐसे एफपीओ को एनपीएमए तथा एफपीओ के साथ अन्य घटकों के अनुसार परामर्शी सेवाओं के लाभ की भी अनुमति दी जाएगी जैसे कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा साम्यानुदान को बढ़ावा देना। ये संगठन डीएसीएंडएफडब्ल्यू/एन-पीएमएसएफसी को अग्रिम रूप से एफपीओ के निर्माण तथा संवर्धन के प्रस्ताव विवरण प्रस्तुत करेंगे तथा इसके विचारार्थ वर्ष-वार विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद, वे एफपीओ के निर्माण एवं संवर्धन के विभिन्न चरणों की रूप-रेखा प्रस्तुत करेंगे तथा दस्तावेज प्रमाण के साथ-साथ पुरानी राशि के उपयोग तथा इसके साथ ही सत्यापन के लिए निर्धारित कार्यान्वयन एजेंसी को साम्यानुदान की आवश्यकता के लिए एफपीओ प्रबंधन लागत हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जो इसके बदले में संबंधित कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से भुगतान हेतु एन-पीएमएएसएफसी के दावों को चरणबद्ध रूप प्रदान करेगी। क्रेडिट गारंटी सुविधा के संबंध में वे बैंक क्रेडिट विवरण के साथ संबंधित ऋण निधि के पास जाएंगे।

(ii) एफपीओ की लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा एफपीओ की आवश्यक अवसंरचना की लागत की पूर्ति करने के लिए सरकार की जारी योजनायें भी अभिसरण में उपयोग में ली जाएंगी। कार्यान्वयक एजेंसी एफपीओ को सतत एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उत्पादन एवं फसलोत्तर, मूल्यवर्धन एवं कृषि स्तरीय प्रसंसकरण, भंडारण एवं अन्य क्रियाकलापों से संबंधित मशीनरी/उपकरणों के साथ कस्टम हायरिंग केंद्र/सामान्य सुविधा केंद्र जैसे अवसंरचना के सृजन एवं कार्यक्रमों, क्रिया कलापों के लिए भारत सरकार की विभिन्न जारी स्कीमों जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (आरकेवीवाई) समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमएसएमपीएडीए) दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), एमओएफपीआई की पीएम एफएमएफपीई योजना, ट्राइफेड इत्यादि के माध्यम से उपलब्ध निधि का अभिसरण कर सकती हैं।

(iii) इसके अतिरिक्त, कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम) की उप-योजना कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) को भी रूपांतरित किया जाएगा और फसलोत्तर प्रबंधन और विपणन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इच्छुक एफपीओ सहायता का लाभ उठा सकता है।

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एफपीओ के विपणन और कृषि स्तर मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे/सुविधाओं के विकास के लिए एवं कस्टम हायरिंग सेंटर/कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर आदि की स्थापना जो कि विपणन और आपूर्ति श्रंखला के लिए ग्रामीण कृषि बाज़ार (ग्राम) में नाबार्ड में स्थापित एग्री-मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एएमआईएफ) जो कि विपणन और कृषि स्तर मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे/सुविधाओं के विकास के लिए है उसके तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस दशा में एएमआईएफ संचालन मार्गदर्शिका तथा नाबार्ड द्वारा निर्धारित लोन स्वीकृति एवं रीपेमेंट की प्रक्रिया एवं शर्ते लागू होगी ।

(v) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार की योजना के तहत कवर नहीं की गई गतिविधियों और अवसंरचना के लिए अपने स्वयं के कोष से एफपीओ की गतिविधियों को पूरा कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त पूरक बन सकते हैं।

(vi) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र किराए/पट्टे पर या अन्यथा सस्ती दर पर सीएफसी और सीएचसी की स्थापना के लिए एफपीओ को भूमि का उपयुक्त आकार उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर सकते हैं; या मुफ्त उपलब्ध करा सकते है।

(vii) सरकार एफपीओ को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद अभियान शुरू करने के लिए प्राथमिकता दे सकती है।

(viii) राज्य एपीएमसी मंडी यार्डों तक उपज को वास्तविक रूप से लाए बिना अपने परिसर से ई-नाम के एफपीओ मॉडयूल सहित ई-राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) के माध्यम से या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सक्रिय रूप से अपनी उपज की बिक्री हेतु एफपीओ को अनुमति देने हेतु सक्रिय रूप से विचार कर सकते हैं।

(ix) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग स्कीम के (तथा मॉडल बाई लॉ, यदि कोई हो तो) के संचालन दिशानिर्देशिका को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत है जिसमें इसमें किये गए मध्यावधिक परिवर्तन तथा माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अनुमोदन से इसे जारी करना शामिल है।

अनुबंध-I

एफपीओ द्वारा इक्विटी अनुदान की मांग के लिए आवेदन पत्र

दिनांक :

सेवा में,

(i) प्रबंध निदेशक
लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी),
एनसीयूआई सभागार, अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली 110016

(ii) प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी),
4, सिरी संस्थागत क्षेत्र,
हौज खास, नई दिल्ली 110016

(iii) मुख्य महाप्रबंधक
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड),
क्षेत्रीय कार्यालय ---

(iv) अनुमति-प्राप्त/नामित कोई अन्य अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसी, जैसा भी मामला हो।

विषय: 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन योजना के तहत साम्य (इक्विटी) अनुदान के लिए आवेदन

प्रिय महोदय/महोदया,

हम कैप्शन स्कीम के तहत प्रावधानों के अनुसार इक्विटी ग्रांट के लिए आवेदन करते हैं।

1. एफपीओ का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	प्रस्तुत किए जाने वाला विवरण	ब्यौरा
1.	एफपीओ का नाम	
2.	एफपीओ का पत्र-व्यवहार पता	
3.	एफपीओ का संपर्क विवरण	
4.	पंजीकरण संख्या	
5.	एफपीओ के पंजीकरण/ संस्थापन की तिथि	
6.	एफपीओ व्यापार का संक्षिप्त विवरण	
7.	हितधारक सदस्यों की संख्या	
8.	लघु, सीमांत एवं भूमिहीन हितधारक सदस्यों की संख्या	
9.	प्रदत्त पूंजी (रूपए में)	
10.	मांगी गई साम्या अनुदान की राशि (रूपए में)	
11.	प्रत्येक हितधारक सदस्य की अधिकतम शेयरहोल्डिंग	
12.	उस बैंक का नाम जिसमें खाता खोला गया है।	
13.	खाता संख्या	
14.	शाखा का नाम एवं आईएफएससी कोड	
15.	निदेशकों की संख्या एवं उनका विवरण	
16.	बोर्ड निर्माण का माध्यम (चुनाव/नामांकन)	

17.	महिला निदेशक (कों) की संख्या	
18.	पिछले वर्ष आयोजित बोर्ड/शासी निकाय की बैठकों की संख्या	
19.	एफपीओ के कार्यकारी समितियों की संख्या: (प्रत्येक समिति के मुख्य क्रियाकलापों का उल्लेख करें)	1. 2. 3.
20.	बोर्ड/शासी निकाय की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	1. 2. 3. 4.

2. **निदेशक मंडल/शासी निकाय का विवरण-**

क्र. सं.	**निदेशक मंडल/ शासी निकाय के नाम**	**एफपीओ में पदनाम/ भूमिका**	**आधार संख्या**	**डीआईएन संख्या**	**योग्यता कार्यकाल (वर्षों में)**	**कॉनटैक्ट नंबर/पता**	भू-जोत **(एकड़ में)**
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
....							

3. **निदेशक मंडल/ शासी निकायों के विवरण**

क्र. सं.	**निदेशक मंडल/ शासी निकाय के नाम**	**एफपीओ में भूमिका**	**आधार संख्या**	**योग्यता कार्यकाल (वर्ष में), यदि कोई हो**	**कॉनटैक्ट नंबर/पता**	भू-जोत **(एकड़ में)**
1.						
....						

4. एफपीओ सदस्यों की शेयरहोल्डिंग का विवरण-

#	**हितधारकों की संख्या**	**आवंटित शेयरों की संख्या एवं फेस वैल्यू (रूपए)**	**भुगतान की गई कुल राशि (प्रीमियम (रूपए में) सहित))**

हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे एफपीओ के किसी भी सदस्य ने इससे पहले साम्या अनुदान की सुविधा का लाभ नहीं लिया था।

हम आवेदन के साथ अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करते है तथा यह अनुरोध करते है कि साम्य अनुदान की मंजूरी दी जाए।

आपका,

अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंधक

एफपीओ के प्राधिकृत प्रतिनिधि/निदेशक

***आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची**

प्रस्तुत (संलग्न प्रारूप, अनुबंध **I**- संलग्नक- **I**) करने से पहले चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) द्वारा सत्यापित और प्रमाणित एक हितधारक सूची और प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत शेयर पूंजी अंशदान

(ii) सदस्य के लिए इक्विटी ग्रांट लेने के लिए एफपीओ बोर्ड / गवर्निंग काउंसिल का प्रस्ताव (संलग्न प्रारूप, अनुबंध **I**- संलग्नक- **II**)।

(iii) एफपीसी द्वारा उन्हें जारी किए जाने वाले समतुल्य मूल्य के अतिरिक्त शेयरों के विचार करने और नियमानुसार शेयरों की निकासी हेतु हितधारकों की सहमति, हितधारक का नाम, लिंग, रखे गए शेयरों की संख्या, शेयरों का अंकित मूल्य, भू-जोत और हस्ताक्षर, एफपीसी बैंक को अपनी ओर से एफपीसी को स्वीकृत साम्या (इक्विटी) अनुदान को सीधे अंतरित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के लिए सहमति पर हस्ताक्षर करना (संलग्न प्रारूप, अनुबंध **I**- संलग्नक- **III**)।

(iv) यदि आवेदन करने के 3 वर्षों से कम समय में एफपीओ का निर्माण होता है तब इसकी मौजूदगी के न्यूनतम 1 वर्ष/सभी वर्षों के लिए / 3 वर्ष अथवा इससे अधिक समय से मौजूद एफपीओ के लिए पिछले 3 वर्ष हेतु इनके लेखा-परीक्षित वित्त (ऑडिटेड फाइनेंशियल) का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण प्रस्तुतीकरण से पूर्व चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा किया गया हो।

(v) शाखा प्रबंधक द्वारा प्रमाणित पिछले छह महीनों के लिए एफपीओ बैंक खाता विवरण की फोटोकॉपी।

(vi) अगले **18** महीनों के लिए व्यवसाय योजना और बजट।

(vii) नाम, फोटो और पहचान प्रमाण (राशन कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र में से एक) और **/** तथा योजना के तहत सभी दस्तावेजों को निष्पादित करने और हस्ताक्षर करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों / निदेशकों का पासपोर्ट।

(viii) आवेदन पत्र और साथ के दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर एफपीओ के न्यूनतम दो बोर्ड सदस्य प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए;

अनुबंध- I का संलग्नक- I

हितधारकों की सूची एवं प्रस्तुतीकरण से पहले चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणीकृत प्रत्येक सदस्य द्वारा शेयर पूंजी अंशदान

क्र.सं.	सदस्य का नाम एवं लिंग	सदस्यता की तारीख	सदस्य द्वारा जमा की गई शेयर धनराशि	आवंटित शेयरों की संख्या (शेयर वैल्यू रूपए में)	फोलियो शेयर डिस्टिंक्टिव संख्या	शेयरधारकों का भू-जोत (एकड़ में)	भू-रिकॉर्ड (खसरा संख्या)

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम :

स्थान :

दिनांक :

सीईओ के हस्ताक्षर

नाम :

स्थान :

दिनांक :

चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणीकृत (हस्ताक्षर एवं मुहर)

परिशिष्ट-I का संलग्नक-II

सदस्यों के लिए इक्विटी अनुदान प्राप्त करने के लिए निदेशक मंडल/शासी निकाय का संकल्प

एफपीओ शेयरधारकों के लिए इक्विटी अनुदान का निवेदन (प्रमाणित सत्य प्रति)

a) **बैठक का स्थान**..

b) **बैठक की तिथि**...

बैठक की कार्यसूची : **इक्विटी अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए**

जबकि **स्कीम के तहत इक्विटी अनुदान सहयोग प्राप्त करने के लिए** _________________ **के तहत (**एफपीओ की कानूनी पंजीकरण स्थिति) और एजीएम / ईजीएम **के निर्णय के आधार पर** ____________________ (**को** आयोजित) (तारीख का उल्लेख करें) **एफपीओ का गठन किया गया** है।

हम, एफपीओ के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से **निर्णय लिया है** कि-

i. एफपीओ के व्यापार में वृद्धि के लिए अनुदान का उपयोग किया जाएगा।

ii. उक्त निधि के आवंटन का आधार सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत अंशदान अंशदान और **स्कीम** में निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा।

iii. उक्त अनुदान के खातों को उचित तरीके से **अनुरक्षित किया** जाएगा।

iv. उक्त समर्थन का लाभ शेयरधारक सदस्य-वार बढ़ाया जाएगा और जब तक वह एफपीओ का सदस्य है, तब तक **उस** व्यक्ति **के लिए** उपलब्ध रहेगा।

v. यदि कोई शेयरधारक सदस्य किसी भी बिंदु पर एफपीओ **का त्याग** करता है, तो अनुदान के बदले में जारी किए गए शेयरों को एफपीओ द्वारा **यथावत** रखा जाएगा और सदस्य को भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें नए/अतिरिक्त मौजूदा सदस्य को **स्कीम के** दिशानिर्देशों के अनुसार आवंटित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए आयोजित एजीएम/ईजीएम में इस पर **दिनांक ---------- को** चर्चा की गई है और योजना के नियमों और शर्तों के **विषय में** शेयरधारक पूरी तरह से संज्ञान में हैं और उसी का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं।

हम **पुन**: यह संकल्प करते हैं कि इस समर्थन से संबंधित दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए**, अध्यक्ष**/उनकी अनुपस्थिति में**,** किसी भी कारण से **अध्यक्ष की अनुपलब्धता में** एफपीओ के निम्नलिखित निदेशकों में से कोई **एक** और एफपीओ के मुख्य कार्यकारी**,** जिनके हस्ताक्षर **नीचे** दिए गए हैं **और** बैंक द्वारा प्रमाणित **हैं**, **उन्हें समस्त** दस्तावेजों और **प्रपत्रों** को संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। **पुन**: यह संकल्प किया गया कि इस संकल्प को .... (कार्यान्वयन एजेंसी का नाम) **के संज्ञान में लाया** जाएगा और लिखित में अगली सूचना तक यह लागू रहेगा।

सीईओ और निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर **लगाया गया**

क्र.सं.	**नाम**	**पद**	**हस्ताक्षर**

परिशिष्ट-I का संलग्नक-III

सभी शेयरधारकों का सहमति प्रपत्र

हम ____________________ (एफपीओ का नाम) में शेयरधारक हैं जो ________________ (गाँव/ब्लॉक/जिला/राज्य) में स्थित है। हमने ________________ (निर्गत शेयरों की संख्या) शेयर खरीदे हैं, **निम्नलिखित सूची के अनुसार एफपीओ से जिनका मूल्य रु. ________________ (निर्गत शेयरों का मूल्य) है** :

(शेयरधारक के नाम**,** लिंग**,** **धारित** शेयरों की संख्या**,** शेयरों के अंकित मूल्य**,** भूमि **धारिता** और हस्ताक्षर के साथ संलग्न होने **वाली** सूची।)

हमें ईजी के नियमों और शर्तों के बारे में सूचित/**पढ़ाया गया** है और **हम इस**से सहमत हैं। विशेष रूप से**,** प्रत्येक शेयरधारक इस बात से सहमत है कि................................... (कार्यान्वय**क** एजेंसी का नाम) **द्वारा स्वीकृत** इक्विटी **अनुदान** की पूरी राशि हमारे एफपीओ के खाते में सीधे हस्तांतरित **की** जा**नी** चाहिए ताकि एफपीओ में समतुल्य राशि के लिए जारी किए जाने वाले अतिरिक्त शेयरों पर विचार किया जा सके।

राशि प्राप्त होने पर**,** एफपीओ तुरंत**,** .... (कार्यान्वय**क** एजेंसी का नाम) **द्वारा प्रत्येक शेयरधारक को स्वीकृत राशि के समतुल्य सम्बद्ध** शेयरधार**कों** को अतिरिक्त शेयर जारी करेगा।

हम यह भी मानते हैं कि किसी भी बिंदु पर **कोई** शेयरधारक किसी भी कारण से एफपीओ **की** सदस्य**ता समाप्त कर लेता है तो उसके नाम के इक्विटी अनुदान के विरुद्ध अतिरिक्त शेयर जो स्कीम के तहत विनिर्दिष्ट के अनुसार अन्य सदस्यों को आवंटित किये जाने हैं उन्हें एफपीओ द्वारा यथावत रखा जाये** और इस तरह के मामले में उसे शेयर का मूल्य **न दिया जाये।**

अपनी सहमति के समर्थन में**,** हमने नीचे अपने हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान **अंकित किए** हैं: सहमति विवरण:

	शेयरधारक का लिंग और नाम	वर्तमान इक्विटी धारिता (संख्या तथा फेस वैल्यू रुपयों में)	वर्तमान भूमि धारिता (एकड़ में)	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
1.				
2.				
3.				

हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त शेयरधारकों द्वारा दी गई जानकारी **सत्य** है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुहर) अध्यक्ष/अधिकृत हस्ताक्षरी

चार्टर्ड अकाउंटेंट (**सीए**) द्वारा प्रमाणित (**मुहर**) बैंक मैनेजर (**उस** बैंक **का** जहां **एफपीसी** का खाता है)

परिशिष्ट-II

सीजीएफ के तहत क्रेडिट गारंटी कवर के निवेदन हेतु आवेदन प्रपत्र

कार्यान्वयक एजेंसी का नाम (नाबार्ड/एनसीडीसी):... पता : .... फोन नम्बर :					
(आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर शाखा प्रमुख और अंचल प्रबन्धक के हस्ताक्षर होने चाहिए)					
	आवेदक बैंक शाखा का नाम और पता :				
1 a)	पत्राचार का पूर्ण पता (*पिन कोड सहित) :				
1 b)	एसटीडी सहित फोन नं. :				
1 c)	फैक्स नं. :				
1 d)	ई-मेल पता :				
1 e)	दावा प्रस्तुत करने वाले बैंक के अधिकृत व्यक्ति का विवरण	पद	मोबाइल नं.	ई-मेल पता	
2	कर्जदार एफपीओ का नाम :				
2 a)	संरचना :	उत्पादक संगठन			
2 b)	कार्यालय का पंजीकृत पता (*पिन कोड सहित) :				
	(i). फोन नं.	(ii). फैक्स नं.	(iii). ई-मेल पता		
2 c)	व्यापारिक कार्यालय का पता (यदि कोई हो)				

	(i). फोन नं.	(ii). फैक्स नं.	(iii). ई-मेल पता		
2 d)	सीईओ का नाम :				
	मोबाइल नं.				
2 e)	क्रेडिट सुविधा जिसके लिए गारंटी कवर का निवेदन है :				
	पुराना	नया	विस्तार	तकनीकी उन्नयन	
2 f)	घटकों का विवरण दें :				
	इनपुट :		प्रसंस्करण :		
	विपणन :		कोई अन्य :		
	कुल निवेश				
3	अनुमोदक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बैंकिंग सुविधाएँ (रु. लाख में) :-				
	(i). सावधि ऋण :	स्वीकृति की तिथि :	बकाया राशि :	आईआरएसी की स्थिति :	

	(ii).नकद क्रेडिट :	स्वीकृति की तिथि :	बकाया राशि :	आईआरएसी की स्थिति :	
3 a)	अनुमोदक कार्यालय :	शाखा :	अं.का. / क्षे.का. :	मु.का. :	
3 b)	अनुमोदक प्राधिकरण का पद :				

3 c)	अनुमोदक प्राधिकरण की स्वीकृति का माध्यम :				
3 d)	स्वीकरण/ मूल्यांकन नोट सं. दिनांक :				
3 e)	स्वीकृत वाहक कार्यसूची सं. / कार्यवाही :				
4	शाखा के नियन्त्रक कार्यालय का नाम तथा पता (*पिन कोड सहित) :				
4.a).	नियन्त्रक प्राधिकरण का नाम :				
4.b).	मोबाइल नं. :				
4.c).	फैक्स नं. :				
4.d).	ई-मेल पता :				
5	एफपीओ गतिविधि की वर्तमान स्थिति : (घटक वार विवरण दें)				
5. a)					
5. b).					
5. c).					
5. d).					
5. e).					
5. f)					
6	खातों की स्थिति				
6. a).	सावधि ऋण :				
	तिथि तक भुगतान की राशि :		तिथि तक बकाया :		
	i). प्रथम किस्त की देय तिथि :				
	ii). अन्तिम किस्त की देय तिथि :				
6. b).	नकद क्रेडिट :				

<table>
<tr><td></td><td>सीमा :</td><td colspan="2">आहरण शक्ति :</td><td colspan="2">बकाया :</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">अनियमितता पर टिप्पणी (यदि कोई हो) :</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट में आधिकारिक निरीक्षण करके इकाई पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी :</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">A. परियोजना की लागत (जैसा कि अनुमोदक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया((रु. लाख में)</td><td colspan="2">B. वित्त के साधन (जैसा कि अनुमोदक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया((रु. लाख में)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">घटक वार विवरण दें</td><td colspan="3">a. बैंक का सावधि ऋण</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">b. संवर्धक इक्विटी</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">c. अप्रतिभूत ऋण :</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">d. अन्य यदि कोई हो</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td></td><td colspan="3">कुल</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">A. फारवर्ड लिंकेज :</td><td colspan="3">B. लघु/सीमान्त किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज :</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td></td><td colspan="2">सदस्यों की सं.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td colspan="3">बैंक द्वारा ली गयी प्राथमिक तथा समपार्श्विक प्रतिभूतियों का विवरण (यदि कोई हो)</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td></td><td>a. प्राथमिक</td><td colspan="2">b. समपार्श्विक</td></tr>
</table>

			प्रतिभूतियाँ	प्रतिभूतियाँ	
	4				
	5				
	6				
	(कृपया विवरण अलग से संलग्न करें)				
9	पूर्ण पते, सम्पर्क विवरण तथा ई-मेल सहित क्रेडिट सुविधा के साथ सम्बद्ध कंसोर्टियम का नाम (यदि कोई हो) :				
9 a)	पता (*पिन कोड सहित) :				
9 b)	सम्पर्क विवरण :				
9 c)	ई-मेल पता :				

क्रेडिट गारंटी हेतु शाखा प्रमुख से निवेदन :-

उपरोक्त जानकारी के अनुसार, हम एफपीओ से रुपये .... (रुपयों में.....................) की क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध क्रेडिट गारंटी कवर का अनुरोध करते हैं। (सक्षम प्राधिकरण के मूल्यांकन/प्रोसेस नोट सहित स्वीकृति पत्र की प्रति आपके अवलोकनार्थ तथा रिकॉर्ड के लिए संलग्न है)।

हम पुन: पुष्टि करते हैं कि :

1. संवर्धकों के संबंध में हमारे द्वारा केवाईसी मानदंडों का अनुपालन किया गया है।
2. परियोजना के तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता पक्ष को अनुमोदक प्राधिकारी और शाखा द्वारा ध्यान में रखा गया है।
3. तिमाही आधार पर, बैंक इकाई की प्रगति, बैंक के बकायों की वसूली तथा .... (कार्यान्वयक एजेंसी का नाम) के खातों की वर्तमान स्थिति के विषय में.......................(कार्यान्वयक एजेंसी का नाम) का मूल्यांकन करेगा।
4. हम योजना के नियमों तथा शर्तों के अनुपालन की शपथ लेते हैं।

तिथि....................................	.... शाखा की मुहर शाखा की मुहर सहित शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर नाम.. पद .... अंचल कार्यालय में अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर नाम.. पद ....

संलग्नकों की सूची		
1. प्रत्येक पृष्ठ पर शाखा प्रबंधक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तिथि और प्रेषण संख्या के साथ बैंक के मूल लेटरहेड पर मांगी गई सीजीसी की राशि के साथ सिफारिश।	5. एफपीओ के मूल लेटर हेड पर बैंक प्रबंधक को संबोधित संवर्धक का अनुरोध पत्र	9. संवर्धक और बैंक द्वारा पुष्टि किए गए शेयरधारकों की सूची
2. अनुमोदक शाखा को सम्बोधित अनुमोदक प्राधिकरण का अनुशंसा पत्र	6. बैंक द्वारा पुष्टि की गयी कार्यान्वयन अनुसूची	10. संवर्धकों का शपथ पत्र कि उन्होंने स्वीकृत क्रेडिट सुविधा के लिए किसी अन्य संस्था से सीजीसी का लाभ नहीं लिया है।

3. बैंक के अनुमोदित मूल्यांकन/प्रक्रिया नोट जिस पर अनुमोदन प्राधिकारी के हस्ताक्षर हैं।	7. सावधि ऋण और नकद क्रेडिट (यदि स्वीकृत हो) के खाते का अद्‌यतन विवरण।	11. हाल की तिथि तक बैंक अधिकारी के फील्ड निरीक्षण की रिपोर्ट।
4. लघु किसानों उत्पादकों पर सम्भावित प्रभाव 1. सामाजिक प्रभाव, 2. पर्यावरणीय प्रभाव 3. जोखिम विश्लेषण	8. क).इक्विटी प्रमाणपत्र, सीए/सीएस प्रमाणपत्र/आरसीएस प्रमाणपत्र ख). प्रपत्र-2, प्रपत्र-5 तथा प्रपत्र-23 जो कम्पनी/आरसीएस हेतु आरओसी के पास दाखिल है	* स्तम्भ सं.. 1. क), 2 (ख), 2. (ग), 4. (क) तथा 9. (क) पर पिन कोड अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें :

प्रबंध निदेशक **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ** एन सी यू आई सभागार भवन, 5 वीं मंजिल, 3 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास ,नई दिल्ली - 110016 दूरभाष: 011-41060075, 26966017 ई-मेल : sfac@nic.in, वेबसाइट : www.sfacindia.com	**मुख्य महाप्रबंधक** **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक** **नाबार्ड** , सी -24, जी ब्लॉक,बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 दूरभाष : 022-26539530,26539500 ई-मेल : csr.murthy@nabard.org, fsdd@nabard.org, वेबसाइट : www.nabard.org	**प्रबंध निदेशक** **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम** रा.स.वि.नि, 4, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली - 110016 दूरभाष: 011- 26960796, 26567140 ई-मेल: mail@ncdc.in, वेबसाइट: www.ncdc.in

कृषि विपणन सलाहकार
विपणन और निरीक्षण निदेशालय
CGO कॉम्प्लेक्स, NH-IV,
फरीदाबाद (हरियाणा) -121 001
दूरभाष: 0129- 2412518
ई-मेल : mdrc-dac@gov.in,
वेबसाइट : www.dmi.gov.in

कृषि विपणन प्रभाग
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली -110001
दूरभाष : 011-23386235, 23388579
वेबसाइट : www.agricoop.nic.in